शिक्षाधिकारः चौपाल के बहस में

एक नागरिक प्रतिवेदन

2013

शिक्षाधिकारः चौपाल के बहस में

(एक नागरिक प्रतिवेदन)

एसोसिएशन फॉर प्रोमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग
स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग
नरगदा, दानापुर
पटना–801503
mob: 09234881782
website: www.creativelearning.in
email apclpatna@gmail.com

.

प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद 55 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद भारतीय संविधान में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। खैर जब जागे, तब सवेरा। इस अधिकार के तहत 6–14 आयुवर्ग तक के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य घोषित हुई।

यद्यपि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करते समय भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 45 में संविधान के प्रभावी होने से दस वर्षों के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की वचनबद्धता की गई। 1945 में ही मानवाधिकारों की सर्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद–28 में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य घोषित की जा चुकी थी। यह एक मौलिक अधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार्य किया जा चुका था।

1993 में उन्नीकृष्णन केस में ही उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार स्वीकार किया। तदुपरान्त सविधानं के 86वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में प्रारंभिक शिक्षा को संविधान के अनुच्छेद 26A में अन्तः स्थापित किया गया। बाद में इसे क्रियान्वित करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। इसे पूर्णतया क्रियान्वित करने के लिए तीन वर्षों की समय–सीमा निश्चित की गई। बिहार सरकार ने भी इसके अनुपालन में 2011 में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी पारित कर दी।

ये कदम एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल कहे जाएँगे। बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। सभी बच्चों का भविष्य संवरेगा, राष्ट्र का भविष्य संवरेगा। शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी। सभी वर्गों, समुदायों विशेषकर अभिवंचित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला बच्चों, निःशक्त बच्चों, अनाथ, बेघर और बेसहारा बच्चों तक प्रारंभिक शिक्षा की पहुँच सर्व सुलभ होगी। गरीब अनपढ़ माँ–बाप के बच्चे भी पढ़ पायेंगे। निर्मल मन बच्चों के बीच भेद–भाव की दूरी मिटेगी। लैंगिक विषमताओं के अंतर पटेंगे। क्षेत्रीय विषमताओं के अंतर मिटेंगे। गुणवत्ता पूर्ण मानव संसाधन विकसित होगा। एक समावेशी विकास का सपना साकार होगा।

इन परिणामों की सम्प्राप्ति की दिशा में कुछ सवाल सर उठा रहे हैं। क्रियान्वयन की संवैधानिक वचनबद्धता की अवधि 31 मार्च 2013 में समाप्त हो रही है। क्या सरकार और स्थानीय प्राधिकार शिक्षाधिकार अधिनियम के प्रावधानों को वास्तविक रूप में रूपान्तरित करने को तैयार हैं? क्या त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पास इस अधिनियम के क्रियान्वयन का समुचित अधिकार और वित्तीय प्रावधान है ? क्या शिक्षक समुदाय इस अधिनियम में दी गई अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है? क्या माता–पिता/संरक्षकों को इस अधिनियम के तहत दिए गए संविधानिक दायित्व की जानकारी है? क्या विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है और उनहें अपनी जिम्मेदारी का आभास है? क्या बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और समाज इस अधिनियम के प्रति मानसिक रूप से तैयार है? इसकी प्राथमिकता ओर अनिवार्यता के प्रति सचेष्ट हैं ?

इन्हीं सवालों को केन्द्र में रखकर एक्शन एड इंडिया और ए0पी0सी0एल0 (एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव लर्निंग) पटना के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए नागरिकों का हस्तक्षेप परियोजना संचालित किया गया है। यह प्रस्तुति बिहार पर केन्द्रित है।

प्रस्तुत नागरिक प्रतिवेदन के लिए स्थानीय सर्वेक्षण किया गया। कई स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित हुईं। कई स्थनो पर जन संवाद आयोजित किया गया। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से शिक्षाधिकार के प्रत्येक पहलुओं पर विचार मंथन किया है। इस प्रतिवेदन में सृजनात्मक एवं नवाचारी शिक्षण अधिगम सिद्धान्तों एवं पद्धतियों का भी समावेश किया गया है, क्योंकि शिक्षा वस्तुपरक नहीं है, व्यक्तिपरक है। इसलिए सभी वर्गों की परम्परा, उनकी संस्कृति परिवेश को ध्यान में रखकर उनकी समझ के सापेक्ष पाठ्यक्रम विकसित करने की सलाह दी गई है। ऐसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए है जो इस अधिनियम के लक्ष्यों की सम्प्राप्ति के लिए सुसाध्य एवं सरल बनाएंगे।

आशा है प्रस्तुत शिक्षाधिकार पर नागरिक प्रतिवेदन शिक्षाधिकार के उद्देश्यों के अनुरूप क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों, शिक्षाविदों एवं संस्थाओं को अर्पित करते हुए उनसे अपेक्षा है कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव निःसंकोच प्रेषित करें ताकि इस नागरिक चार्टर को अत्याधिक उपयोगी बनाया जा सके।

यह नागरिक प्रतिवेदन फ्रेंड **F**orum on **RI**ght based **E**ducation a**N**d **D**evelopment के सहयागियों ने तैयार किया है। यह नेटवर्क अधिकार आधारित शिक्षा एवं विकास विशेषकर दलित एवं उपेक्षितों के लिए कार्य करती है। मैं नेटवर्क के सभी सहभागियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। विशेषकर ईस्ट एन्ड वेस्ट, दीपायतन, पीजीवीएस, अर्पण,केयर, इलाश्री सेवा संस्थान, प्रकाशदीप विकास समिति, परिहारपुर परिवर्त्तन संस्थान एवं शिवम चैरिटेबुल ट्रस्ट के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ।

मैं एक्शन एड इंडिया के प्रति भी उनके वित्त ीय सहयोग के लिए विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।

इस नागरिक प्रतिवेदन को विकसित करने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकत्ताओं, संस्थाओं के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जिनके बहुमूल्य योगदान से यह विकसित हो पाया है।

मैं इस प्रतिवेदन के निर्माण में सहयोग के लिए श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं श्री अवधेश के नारायण को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रो0 विनय कंठ, श्री जैनेन्द्र कुमार, केयर तथा ए0 पी0 सी0 एल0 के डा0 विनय कुमार दास, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री मनोज कुमार, श्री अरविन्द कुमार, श्री दुर्गेश कुमार दास एवं श्री दिलीप कुमार के सहयोग के हम आभारी है, जिनसे हमें अनेक स्तर पर सहयोग मिलता रहा है।

इस प्रतिवेदन पर आपके महत्त्वपूर्ण एवं बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

डा0 मृदुला प्रकाश
परियोजना निदेशक –सह–
कार्यकारी अध्यक्ष
ए.पी.सी.एल., पटना

विषय तालिका

बिहार में शिक्षाधिकार की यात्रा....1
प्राथमिक शिक्षा का इतिहास....4
विद्यालय में पहुँच....9
विशेष प्रशिक्षण द्वारा उम्र के अनुसार नामांकन....19
आधारभूत संरचना....22
गैर सरकारी विद्यालय....26
जेंडर तथा बदहाल सामाजिक समूह....31
समावेशी शिक्षा....37
पूर्व विद्यालयी शिक्षा....41
पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन....43
शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण....46
सामाजिक संस्थाओं की भूमिका....49
शासन प्रणाली....50
बालकों के अधिकार का संरक्षण....52
वित्तीय तंत्र....53

बिहार में शिक्षाधिकार की यात्रा

बिहार में शिक्षा की अधिकार यात्रा पर गहरी नजर डालने के लिए अंग्रेजी हुकुमत के पहले की स्थिति पर नज़र डालने की ज़रूरत है। उन्नीसवीं सदी के पूर्व तक बिहार राज्य में शिक्षा का विस्तार समुदाय आधारित प्राथमिक विद्यालयों पर आधारित था। ऐसे विद्यालयों में पाठ्यक्रम व्यावहारिक तथा स्थानीय जरूरतों से सीधा संपर्क रखते थे। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1830 ई0 के पूर्व तक बिहार–बंगाल संयुक्त प्रदेश में करीब एक लाख परम्परागत स्कूल चल रहे थे तथा इनके पाठ्यक्रम तत्कालीन आम जीवन तथा जीविकोपार्जन से सीधा सम्बंध रखते थे। प्रारम्भिक शिक्षा में हिन्दू एवं मुस्लिम शिक्षा पद्धति प्रचलित थी।

इस अवधि में दो प्रकार के विद्यालय थे – शिक्षक विद्यालय तथा घरेलू विद्यालय।

शिक्षक विद्यालय में बच्चे आते थे। उन्हें शिक्षक पढ़ाते थे। *घरेलू विद्यालय* में बच्चे शिक्षक के घर पढ़ने जाते थे।

उस समय स्कूल सामाजिक जरूरतों को पूरा करते थे जैसे बाजार के काम, कार्यालय के काम, धार्मिक काम आदि। शिक्षा की यह देशी पढाई व्यावहारिक होती थी। गणित की पढ़ाई–लिखाई पर ज्यादा ध्यान था। शिक्षा की यह पद्धति 19वीं सदी के शुरुआत तक समाप्त होने के कगार पर बढ़ चली, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शासकों की रुचि नहीं थी।

अंग्रेजी शिक्षा के शुरुआती दौर से ही शिक्षा का मूल और व्यावहारिक चरित्र पूरी तरह से बदल गया। अंग्रेजी शासकों की रुचि से संपन्न शिक्षा 1813 से शुरू हुई। चार्टर ऐक्ट के अनुसार इस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी ली, मगर 19वीं सदी के दौरान इसमें भी ज्यादा प्रगति नहीं हुई। इसका कारण यह था कि अंग्रेजी सल्तनत को शासनकार्य में मदद देने के लिए थोड़े शिक्षित हिन्दुस्तानियों की जरूरत थी। एक चुने वर्ग को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी जो कि शहरों तक सीमित थी। इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हो पाया।

7 मार्च 1835 को विलियम बेंटिक ने घोषणा की कि सरकार अंग्रेजी शिक्षा को ही मदद करेगी। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के केन्द्र बिहारशरीफ तथा भागलपुर में स्थापित हुए। इसके तुरंत बाद पटना, आरा, छपरा और भागलपुर में जिला स्कूल स्थापित हुए। भागलपुर में एक दूसरा स्कूल भी खोला गया जिसका नाम भागलपुर इंस्टीच्यूशन था। मुजफ्फरपुर जिला स्कूल 1835 से चालू था। 1836 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग तथा चाईबासा में जिला स्कूल स्थापित हुए।

1854 में 'वुड डिस्पैच' से आगे कदम बढ़ाने की जुगत बनी। 1882 में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व, नियंत्रण और प्रशासन स्थानीय निकायों को सौंपा गया। देहाती क्षेत्र के लिए जिला बोर्ड और शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका को जिम्मेदार बनाया गया। इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा में कुछ प्रगति हुई।

देश में मजबूत माँग के चलते 1911 के बाद अंग्रेज हुक्मरानों को इस दिशा में ठोस कदम रखने की शुरुआत करनी पड़ी।

अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत

1830 में ईस्ट इन्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के बोर्ड ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का निर्णय लिया। इस सम्बंध में लार्ड मेकाले द्वारा बनाये गये वृत्त को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 7 मार्च 1835 को स्वीकृति दी। 1837 में अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा बनी। 1862 में समूचे भारत में मान्यता प्राप्त अंग्रेजी संस्थाओं की संख्या 52 थी।

1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने भारतीय नेताओं ने जन शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की माँग की।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की पहल

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में प्राथमिक शिक्षा में विकास का दूसरा दौर प्रारम्भ हुआ। बड़ोदरा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में 1893 में अमरैली तालुका में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रयोग के रूप में लागू किया तथा 1906 में अपनी पूरे राज्य में लागू कर दिया।

1906 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पीरीयल लेजिस्लेटिव असेम्बली में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की माँग की। 1910 में उन्होंने एक प्राइवेट बिल भी पेश किया जो अस्वीकृत हो गया। 1917 में विठ्ठल भाई पटेल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून पारित कराने में सफल हुए। 1918–19 में कई राज्यों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून पारित हुए। 1918 में मुम्बई प्रांत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, नगरपालिका क्षेत्र में लागू हुई।

1919 में बिहार में भी इस आशय का कानून बना। बिहार में बिहार उड़िसा एजुकेशन ऐक्ट (1919 का I) के जरिए 1919 में इसकी बुनियाद पड़ी। इसका संशोधन 1939 में बिहार ऐक्ट XVI, 1946 में बिहार ऐक्ट XVII तथा 1959 में बिहार ऐक्ट IV के रूप में हुआ। राज्य के पैमाने पर इस तरह का कानून बनानेवालों में बिहार पहला था।

इस अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा अधिनियम की विशेषता थी कि यदि जानबूझकर कोई माँ–बाप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उन्हें अर्थदण्ड का भागी बनना होगा।

इस दण्ड के प्रावधान के बावजूद बिहार में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा आज तक कार्यान्वित नहीं हो पाई है।

1930 में हार्टोग समिति ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया, जिससे शिक्षा के प्रसार के अभियान को बाधा पहुँची।

भारतीय संविधान में शिक्षाधिकार एवं संबंधित अधिनियम

भारत के संविधान में शिक्षा के महत्त्व को प्रारम्भ से ही समझा गया। इसके नीति निर्देशक तत्त्वों में निम्न महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए।

"धारा 45 : बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध : राज्य इस संविधान के प्रारम्भ के दस वर्षों के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

वर्ष 1993 में उन्नीकृष्णन केस में उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार मान लिया। संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 3 के प्रवर्तित होने पर संविधान के अनुच्छेद 45 के स्थान पर निम्न प्रावधान किए गए।

" धारा 21क : शिक्षा का अधिकार : राज्य, छः वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति से, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपबंध करेगा।

धारा 45 : छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध : राज्य के सभी बच्चों के लिए छः वर्ष की आयु पूरी करने तक, प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।"

संविधान के इस प्रावधान को लागू करने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम तब आया जब भारत सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बनाकर संविधान के प्रावधानित शिक्षाधिकार की रूपरेखा तय की। इसमें प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में अपने उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन का अधिकार दिया गया। विद्यालय की आवश्यकताओं के विस्तृत मापदंड तय किए गए। शिक्षक की आवश्यकताओं एवं दायित्वों को तय किया गया। विद्यालय के प्रशासन की रूपरेखा भी तय की गयी।

यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षाधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए निम्न समय सीमा तय की गयी।

गतिविधि	**निर्धारित समय**	**समय सीमा**
पड़ोस के विद्यालय की स्थापना	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
विद्यालय के लिए आधारभूत संरचना	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
सभी मौसम लायक विद्यालय भवन	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
प्रति वर्गकक्ष एक शिक्षक	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
कार्यालय सह भंडार कक्ष सह प्रधानाध्यापक कक्ष	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
बाधामुक्त पहुँच	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
पुस्तकालय	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
खेल का मैदान	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
चाहरदिवारी	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
निर्धारित मापदंड के अनुरूप शिक्षक की व्यवस्था	तीन वर्ष	31 मार्च 2013
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	पाँच वर्ष	31 मार्च 2015
गुणात्मक एवं अन्य हस्तक्षेप	अविलंब	

अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के मामाले को छोड़कर यह समय सीमा 31 मार्च 2013 को समाप्त हो रही है। इस समय की समाप्ति के बाद यह अधिकार न्यायालय के द्वारा संपरीक्षणीय हो जाएगा। अतः यह सही समय है कि शिक्षाधिकार के कानून के लागू होने की स्थिति की समीक्षा कर लें ताकि इसे सही ढ़ंग से लागू कराने के लिए एक कार्य–योजना तैयार की जा सके।

बिहार राज्य में मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू करने के लिए नियमावली वर्ष 2010 में बना दी गयी है।

भारत सरकार ने वर्ष 2012 में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में संशोधन किया है, जिसमें इस अधिनियम को संविधान की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत रखते हुए मदरसा, वैदिक पाठशाला धार्मिक शिक्षण संस्थानों को इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया है। इससे शिक्षाधिकार के अभियान को काफी बड़ा झटका लगा है।

इस नागरिक प्रतिवेदन में बारी–बारी से हम शिक्षाधिकार के विभिन्न आयामों को बिहार राज्य में लागू करने की स्थिति की समीक्षा करेंगे तथा उन तत्त्वों को पहचानित करने का प्रयास करेंगे जिनपर कार्य करना अपेक्षित रह गया है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास

बिहार क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का 12वां बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1905.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र में है। बिहार की जनसंख्या 2001 में 8.29 करोड़ थी, जो कि पूरे देश की जनसंख्या (102.8 करोड़) का 8.07 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना में वह जनसंख्या बढ़कर 10.38 करोड़ हो गयी है जो कि पूरे देश की जनसंख्या (121.02 करोड़) का 8.57 प्रतिशत हो गया है। बिहार का 1991 से 2001 के दशक में बिहार की जनसंख्या में वृद्धि 28.043 प्रतिशत थी, जबकि 2001 से 2011 के दशक में यह घटकर 25.07 प्रतिशत हो गई है।

साक्षरता

2001 में जनसंख्या के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 47 प्रतिशत (भारत 64.84 प्रतिशत) जो बढ़कर 2011 में 63.82 प्रतिशत (भारत 74.04 प्रतिशत) हो गया है। स्पष्टतः भारत एवं बिहार के बीच साक्षरता दर की खाई 17.84 से घटकर 10.22 प्रतिशत हो गयी है। बिहार में पुरूष साक्षरता दर वर्ष 2001 में 59.68 प्रतिशत (भारत का 75.26 प्रतिशत) जो 2011 में 73.39 प्रतिशत (भारत का 82.14 प्रतिशत) हो गयी है। पुरूष साक्षरता दर में भारत और बिहार में बीच का अंतर 15.58 से घटकर 8.75 हो गया है।

महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में 33.12 प्रतिशत (भारत 53.57 प्रतिशत) थी जो वर्ष 2011 में बिहार का 53.33 (भारत 65.46 प्रतिशत) हो गयी है। स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दर में भी भारत और बिहार के बीच का अंतर 20.45 प्रतिशत से घटकर 12.13 प्रतिशत हो गया है। पुरूष और महिला साक्षरता के बीच का जेंडर गैप भी वर्ष 2001 में 26.56 प्रतिशत था जो 2011 में घटकर 20.06 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर वर्ष 2001 में बिहार की 43.92 प्रतिशत तथा भारत की 58.74 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बिहार का बढ़कर 61.83 प्रतिशत तथा भारत का 63.33 प्रतिशत हो गयी है।

शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर वर्ष 2001 में बिहार का 71.93 प्रतिशत (भारत का 79.92 प्रतिशत) थी जो बढ़कर वर्ष 2011 में बिहार का 78.75 प्रतिशत (भारत का 74.03 प्रतिशत) हो गयी है।

प्राथमिक विद्यालय

1912–13 में बिहार, उड़िसा में 22,448 प्राथमिक विद्यालय थें, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय 1,628 थे। इनमें 6,37,505 विद्यार्थी पढ़ते थे। इनमें 82,254 बालिकाएँ पढ़ती थीं। शिक्षकों की संख्या 26,418 थी।

विद्यालय डाकघर

उस समय देहात में पढ़े–लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। इसलिए विद्यालय डाकघर चलाये जाते थे, जहाँ ग्रामीण शिक्षक ग्रामीण डाकघर के डाकबाबू भी होते थे। 1912–13 में इस राज्य में 228 विद्यालय डाकघर थे।

मध्य विद्यालय

1911–12 ई0 में अंग्रेजी मध्य स्कूलों की संख्या 137 थी जो 1936–37 में बढ़कर 664 तक पहुँच गई। इसके विपरीत स्थानीय परम्परागत विद्यालयों की संख्या घटकर 112 तक सिमट गई। 1912–13 में बिहार और उड़िसा में 346 मध्य विद्यालय थे जो दो तरह के थे। एक–अंग्रेजी मध्य विद्यालय, दो–देशी मध्य विद्यालय। अंग्रेजी मध्य विद्यालय 210 थे, जिनमें 3 सरकारी थे। देशी मध्य विद्यालय 136 थे। अंग्रेजी मध्य विद्यालयों में 20,101 तथा देशी मध्य विद्यालयों में 9,828 छात्र पढ़ते थे। सभी मध्य विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या 1527 थी।

20वीं सदी के दौरान राष्ट्रीय आंदोलनों और 1929 के विश्वव्यापी मंदी के चपेट में शिक्षा आई जिससे 1936–37 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1912–13 वर्ष की संख्या 22,448 से घटकर 20,790 हो गई। इनमें बालिका संस्थाओं की संख्या 2,027 थी। इन संस्थाओं में 7,58,231 छात्र पढ़ते थे जिनमें 1,01,560 लड़कियाँ थीं। 30,042 पुरुष शिक्षक तथा 1,628 महिला शिक्षिकाएँ कार्यरत थीं।

1936–37 में कुल 984 माध्यमिक विद्यालय थे जिनमें 46 बालिकाओं के लिए थे। उन दिनों मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों के अंग होते थे। माध्यमिक विद्यालय में उच्च विद्यालय, अंग्रजी मध्य विद्यालय तथा देशी मध्य विद्यालय शामिल थे। अंग्रेजी मध्य विद्यालयों की संख्या 664 थी, जिसमें 27 बालिकाओं के लिए थी। 112 देशी मध्य विद्यालय थे, जिनमें बालिकाओं के लिए 9 थे।

स्वतंत्रता के बाद विद्यालयी शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विद्यालयी शिक्षा में काफी तेजी से वृद्धि हुई। 1947 कं बाद

शिक्षण संस्थाओं की संख्या (1947–77)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			मध्य विद्यालय			उच्च विद्यालय			महाविद्यालय		
	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1946-47	18296	1964	20260	1447	95	1542	386	23	409	20	3	23
1947-48	18926	1924	20850	1548	96	1644	428	25	453	20	3	23
1948-49	19633	1971	21604	1654	100	1754	473	25	498	25	3	28
1949-50	20882	2091	22973	1866	103	1969	527	32	559	26	5	31
1950-51	21574	2125	23699	2055	147	2202	608	35	643	26	5	31
1951-52	22024	2187	24211	2317	131	2448	681	36	717	29	6	35
1952-53	22358	227	22585	2513	145	2658	750	37	787	31	5	36
1953-54	22942	236	23178	2761	144	2905	824	40	864	34	5	39
1954-55	25182	2408	27590	2996	152	3148	872	42	914	38	5	43
1955-56	26818	2731	29549	3155	166	3321	918	45	963	49	5	54
1956-57	26735	2950	29685	3205	174	3379	987	46	1033	50	5	55
1957-58	27308	3109	30417	3377	179	3556	1056	52	1108	59	6	65
1958-59	28539	3502	32041	3675	193	3868	1223	66	1289	67	6	73
1959-60	31651	4091	35742	3922	218	4140	1375	74	1449	81	11	92
1960-61	33094	4229	37323	4161	247	4408	1455	86	1541	94	13	107
1961-62	34952	4435	39387	4553	266	4819	1568	94	1662	99	13	112
1962-63	36301	4565	40866	5130	377	5507	1677	113	1790	104	13	117
1963-64	36874	4608	41482	5328	454	5782	1745	119	1864	105	14	119
1964-65	38082	4729	42811	5875	500	6375	1865	137	2002	118	14	132
1965-66	39598	4836	44434	6284	550	6834	1959	147	2106	122	16	138
1966-67	40348	4949	45297	6616	601	7217	2084	157	2241	129	16	145

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय			मध्य विद्यालय			उच्च विद्यालय			महाविद्यालय		
	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल	लड़का	लड़की	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1967-68	40529	5016	45545	6871	615	7486	2176	161	2337	142	17	159
1968-69	40873	5021	45894	7059	645	7704	2245	168	2413	144	17	161
1969-70	41328	5037	46365	7271	667	7938	2348	177	2525	158	18	176
1970-71	41758	5065	46823	7446	687	8133	2414	184	2598	174	24	198
1971-72	42591	5122	47713	7772	723	8495	2481	191	2672	N.A.	N.A.	210
1972-73	N.A.	N.A.	49291	N.A.	N.A.	8899	N.A.	N.A.	2750	N.A.	N.A.	219
1973-74	45641	5297	50938	8673	806	9479	2568	209	2777	N.A.	N.A.	226
1974-75	N.A.	N.A.	51446	N.A.	N.A.	9828	N.A.	N.A.	2818	N.A.	N.A.	251
1975-76	N.A.	N.A.	51446	N.A.	N.A.	10099	N.A.	N.A.	2884	N.A.	N.A.	264
1976-77	46576	4668	51244	9506	916	10422	2729	243	2972	239	32	271*

*. Commerce Colleges not included.
Source: *Bihar mein Siksha ki Pragati 1947-78*, Govt. of Bihar, Department of Education, Patna, Bihar Textbook Publishing Corporation Limited, Patna, Table 2.1, p. 18

बिहार में 1947 में 21,802 प्राथमिक एवं मध्य स्कूल थे जो 1991 में 66,117 हो गये। शिक्षकों की संख्या 40,512 से बढ़कर 2,27,838 हो गई। इन विद्यालयों में नामांकन 10.14 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख हो गया।

1 जनवरी 1971 से गैर सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों का सरकारीकरण हो गया। इसके तहत 54000 प्रारम्भिक विद्यालयों का, जिसमें 1,50,000 शिक्षक कार्यरत थे, सरकारीकरण हो गया।

सरकारीकरण के सभी ऐक्ट शिक्षक–उन्मुखी प्रावधानों से ओत–प्रोत थे। शिक्षुओं और उनकी सुविधाओं, शिक्षकों की जनता के प्रति जवाबदेही का कहीं स्थान नहीं था। इसलिए पूरी व्यवस्था बाल–केन्द्रित होने के बदले शिक्षक–केन्द्रित बन गई।

1977–78 में संपादित चतुर्थ शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 31 मार्च 1978 को राज्य में 50,934 प्राथमिक विद्यालय थे। इसके अलावा मध्य विद्यालयों और सेकेन्डरी तथा हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में 9,902 प्राथमिक इकाइयाँ चलती थीं। इस प्रकार कुल प्राथमिक इकाइयाँ 60,836 थीं जिनमें 57,525 (94.6 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 3,311 (5.4 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में थीं। राज्य के कुल 1,04,004 टोलों में मात्र 51,882 टोलों में यानी आधे में ही शिक्षा सुविधा उपलब्ध थी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1977–78 में 15,912 विद्यालय एकल शिक्षक विद्यालय थे।

1991 में बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना के बाद प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। यूनिसेफ के सहयोग से सीतामढ़ी में शिक्षा योजना बना जिसे बाद में सात जिलों में विस्तारित किया गया। 1997 में विश्व बैंक की सहायता से डिस्ट्रीक्ट प्राइमरी एडुकेशन प्रोग्राम चलाया गया। वर्ष 2000–01 से सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 2012 में बिहार में कुल प्रारंभिक विद्यालय 73577 हैं जिसमें से 42709 प्राथमिक विद्यालय, 30098 प्राथमिक सह मध्य विद्यालय हैं। राज्य में 770 सरकार सहायता प्राप्त उच्च विद्यालय हैं।

छीजन

छीजन की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। पहले वर्ग में जितने बच्चे दाखिल होते हैं उनमें पाँचवें वर्ग तक आते–आते लगभग 80 प्रतिशत पढ़ना छोड़ देते हैं। सिर्फ पाँचवाँ भाग ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर पाता

है। लड़कियों में छीजन और ज्यादा है। 1960–61 में पहले वर्ग में नामांकित कुल छात्रों में से पाँचवाँ वर्ग तक पहुँचते–पहुँचते 74.54 प्रतिशत लड़कों ने या तो पढ़ना छोड़ दिया या पीछे छूट गये। सिर्फ 25.46 प्रतिशत लड़के ही प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाये। इनमें से 49.24 प्रतिशत का दूसरे वर्ष में ही छीजन हो गया। तीसरे वर्ष में 28.13 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 17.62 प्रतिशत तथा पाँचवें वर्ष में 15.28 प्रतिशत लड़के इसके शिकार हुए।

लड़कियों की हालत और भी सोचनीय रही। पाँचवें वर्ग तक पहुँचने में 83.9 प्रतिशत का छीजन हो गया। सिर्फ 16.10 प्रतिशत लड़कियाँ ही प्राथमिक स्तर पास कर सकीं। यानी 1960–61 में पहले वर्ग में नामांकित 100 लड़कियों में से सिर्फ 16 लड़कियों ने प्राथमिक का अवरोध पार किया। दूसरे वर्ष में 55. 57 प्रतिशत, तीसरे में 33.70 प्रतिशत, चौथे में 34.41 प्रतिशत तथा पाँचवें वर्ष में 16.76 प्रतिशत छीजन रहा। लड़कियों में छठे से आठवें वर्ग के बीच छीजन 58.9 प्रतिशत था जो लड़कों से दुगुना था।

1970–71 में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का 77.82 प्रतिशत तथा बालकों का 72.15 प्रतिशत छीजन दर्ज हुआ। 1998–99 में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का 62.06 प्रतिशत तथा बालकों का 58.28 प्रतिशत छीजन दर्ज हुआ।

पिछले 10 वर्षों में विद्यालयों मे छीजन की स्थिति निम्न प्रकार रही :

प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में छीजन की स्थिति

वर्ष	प्राथमिक (I से V) %			मध्य (I से VIII) %		
	लड़की	लड़का	कुल	लड़की	लड़का	कुल
2001-02	63.1	60.7	61.6	NA	NA	74.8
2002-03	62.4	62.1	58.2	NA	NA	74.9
2003-04	57.6	57.7	57.7	NA	NA	74.6
2004-05	48.6	53.4	51.6	73.7	71.3	72.1
2005-06	45.2	47.4	46.6	68.9	68	68.3
2006-07	45.7	46.4	46.1	60.1	62.8	61.8
2007-08	45.2	45.6	45.4	61.1	61.5	61.4
2008-09	44.6	45.1	45	NA	NA	60.3
2009-10	41	43.5	42.5	56.7	60.2	58.8

Source : Department of Education, GOB

प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में छीजन की स्थिति निम्न प्रकार रही।

प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में छीजन की स्थिति

वर्ष	प्राथमिक (I से V) %			मध्य (I से VIII) %		
	लड़की	लड़का	कुल	लड़की	लड़का	कुल
2004-05	56.1	54.6	55.2	82.7	80.2	81.1
2005-06	59.4	56.2	57.4	79.9	78.2	78.8
2006-07	51.2	51.6	51.5	77.8	72.8	72.8
2007-08	51	53.3	52.4	70.3	71.8	71.2
2008-09	49.5	50.5	50.1	69.4	70.5	70.1
2009-10	49.7	50.9	50.4	69.8	72.7	71.6

Source : Department of Education, GOB

स्पष्टतः आंकड़ों में छीजन की स्थिति में थोड़ा सुधार लगता है पर यह आंकड़ा केवल नामांकन के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया हुआ है उपस्थिति के आधार पर नहीं। अतः यह बहुत विश्वसनीय नहीं है।

विद्यालय में पहुँच

संदर्भ

शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिए यह आवश्यक है कि सभी बच्चे के लिए मुनासिब दूरी पर विद्यालय हो। शिक्षाधिकार अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित धारा 3(1) में छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी पडोस/आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बच्चे के विद्यालय में पहुँच से संबंध रखता है। यह पहुँच बिना किसी आर्थिक या सामाजिक बाधा के हो यही इस प्रावधान का अभिप्राय है।

विद्यालय की स्थापना

पड़ोस के विद्यालय में शिक्षा के अधिकार से सीधा तात्पर्य है कि प्रत्येक बच्चे के पड़ोस में एक विद्यालय होना चाहिए। अतः प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में एक निर्धारित दूरी के अंतर्गत विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि कितनी दूरी पर यह विद्यालय होना चाहिए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए एक किलोमीटर तथा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए तीन किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गयी है। बिहार सरकार द्वारा पारित नियमावली के नियम 4(1) के उपनियम क और ख में क्रमशः प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 1 कि0मी0 की सीमा निर्धारित है और प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तीन कि0मी0 सीमा के अंदर रखा गया है।

परंतु यह बिहार के संदर्भ में इस मापदंड को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। **बिहार की जनसंख्या के घनत्व के आलोक में अगर परीक्षण करें तो यह पाएँगे कि 3 कि0मी0 की परिधि में सामान्य रूप से लगभग 28000 जनसंख्या निवास करती है।** इसमें 6–14 आयुवर्ग के लगभग 5000 बच्चे होते हैं। इन बच्चों में से करीब 2000 बच्चे 11–14 आयु वर्ग के होंगे अर्थात् 2000 छात्र तीन कि0मी0 दूरी तय कर प्रत्येक दिन विद्यालय आयेंगे। यह व्यवहारिक जान नहीं पड़ता है। **इस परिस्थिति में यह उचित जान पड़ता है कि सभी प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर प्रारंभिक विद्यालय किया जाए चूँकि 1 कि0मी0 की दूरी पड़ोस की आदर्श दूरी है या इसके विकल्प में प्रारंभिक विद्यालयों की दूरी 1.5 कि0मी0 की परिधि करने पर विचार किया जाय।**

टोला आधारित विद्यालय चित्रण

अब प्रश्न यह है कि विद्यालय के मानचित्रण के लिए केन्द्रबिंदु क्या हो? पूर्व में गाँव को आधार मानकर एक किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर के भीतर के प्रारम्भिक विद्यालय की स्थापना की जाँच की जाती थी। पर बिहार में गाँव टोले में बँटें हैं तथा कभी–कभी गाँव के मुख्य भूखंड से टोलों की दूरी काफी अधिक भी रहती है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इन टोलों में अधिकांशतः कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। **इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय की आवश्यकता के आकलन के लिए बसावट/टोले को केन्द्रबिंदु बनाया जाय तथा यह जाँच कर ली जाए कि प्रत्येक बसावट/टोले के एक किलोमीटर के अधीन एक प्राथमिक विद्यालय तथा तीन किलोमीटर के अधीन प्रारम्भिक विद्यालय की स्थापना हो पायी है कि नहीं।**

बिहार में सम्प्रति 95692 बसावटें (ऐसी बसावटें जिनकी जनसंख्या 300 से अधिक हों) हैं जिनमें से 95460 में एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय विद्यमान है। स्पष्टतः 232 बसावटों में के निर्धारित दूरी के अंतर्गत विद्यालय नहीं है। साथ ही 300 से कम जनसंख्या वाले बसावटों से संम्बद्ध आंकड़े उपलब्ध नहीं है। शिक्षाधिकार के दृष्टिकोण से यह **आवश्यक है कि प्रत्येक बसावट, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो, को केन्द्र बिन्दु मानकर उसके एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के भीतर एक प्रारंभिक विद्यालय की मैपिंग करायी जाए। यदि किसी बसावट में 1 कि मी के भीतर विद्यालय खोलना संभव न हो तो वहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए या उन बच्चों को किसी आवासीय विद्यालय में भेज दिया जाए।**

नामांकन

पिछले 10 वर्षों में विद्यालयों में नामांकन की स्थिति निम्न तालिका में दिखाया गया है –

Table 5.3 : Total Enrolment in Primary and Upper Primary Level (2002-03 to 2009-10) Year

Year	All			SCs			STs		
	Primary (I-V)	Upper Primary (VI-VIII)	Total (I-VIII)	Primary (I-V)	Upper Primary (VI-VIII)	Total (I-VIII)	Primary (I-V)	Upper Primary (VI-VIII)	Total (I-VIII)
2002-03	92.28	11.7	103.97	15.52	1.37	16.89	0.96	0.09	1.05
2003-04	97.32	14.82	112.15	16.31	1.71	18.01	1.29	0.12	1.42
2004-05	109.17	19.36	128.53	18.03	2.37	20.4	1.22	0.17	1.39
2005-06	112.34	21.63	133.97	18.19	2.5	20.69	1.5	0.22	1.72
2006-07	125.27	25.62	150.89	22.12	3.37	25.49	2.28	0.28	2.56
2007-08	146.3	30.42	159.06	22.3	4.14	26.44	1.89	0.29	2.18
2008-09	132.01	35.22	167.23	22.48	4.91	27.39	1.49	0.3	1.79
2009-10	139.07	41.27	180.34	23.54	5.33	28.87	2.03	0.54	2.57
CAGR	6.6	19.1	8.2	6.6	22.1	8.5	9.6	25.3	11.5

Source : Department of Education, GOB

विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नामांकन की स्थिति निम्नवत है –

Table 5.4 : Genderwise Total Enrolment in Primary and Upper Primary Levels

Year	Gender	Primary (in Lakhs)			Upper Primary (in Lakhs)		
		Total	SC	ST	Total	SC	ST
2002-03	Boys	52.99	9.45	0.59	7.54	0.95	0.06
	Girls	39.29	6.06	0.37	4.16	0.42	0.03
	Total	92.28	15.52	0.96	11.7	1.37	0.09
2003-04	Boys	55.18	9.82	0.63	9.41	1.17	0.08
	Girls	42.14	6.48	0.41	5.42	0.54	0.04
	Total	97.32	16.31	1.04	14.82	1.71	0.12
2004-05	Boys	61.37	10.71	0.78	12.06	1.56	0.11
	Girls	47.8	7.32	0.53	7.3	0.8	0.06
	Total	109.16	18.03	1.31	19.36	2.37	0.17
2005-06	Boys	62.5	10.69	0.88	13.23	1.65	0.14

Year	Gender	Primary (in Lakhs)			Upper Primary (in Lakhs)		
		Total	SC	ST	Total	SC	ST
	Girls	49.83	7.5	0.61	8.41	0.86	0.08
	Total	112.34	18.19	1.5	21.63	2.5	0.22
2006-07	Boys	88.02	8.92	0.68	31.87	4.56	0.26
	Girls	37.47	6.04	0.43	21.8	2.67	0.15
	Total	125.49	14.97	1.1	53.67	7.22	0.42
2007-08	Boys	78.19	14.28	1.93	17.28	2.39	0.28
	Girls	68.11	11.52	1.62	13.06	1.56	0.2
	Total	146.3	25.81	3.55	30.34	3.94	0.48
2008-09	Boys	74.27	13.13	0.89	20.66	3.08	0.19
	Girls	57.74	9.35	0.6	14.56	1.83	0.12
	Total	132.01	22.49	1.5	35.22	4.92	0.31
2009-10	Boys	77.56	13.68	1.31	23.42	3.24	0.36
	Girls	61.52	9.85	0.73	17.85	2.09	0.18
	Total	139.08	23.54	2.03	41.27	5.33	0.54
CAGR (Boys)		6.4	5.8	12.4	17.9	20.6	26.9
CAGR (Girls)		6.8	7.9	12.2	23.7	27.5	29.7

Source : Department of Education, GOB

बिहार में 6 से 13 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या 2,18,09,131 है जिसमें से कक्षा 1 से लेकर 8 तक में कुल 2,08,52,056 बच्चों का नामांकन हो चुका है। जिसका नामांकन प्रतिशत 95.6 है। इन बच्चों का वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर प्राथमिक विद्यालय में 5.73 तथा मध्य विद्यालय में 4.29 है। शिक्षक–छात्र अनुपात सरकार द्वारा 34:1 अनुमोदित किया गया था, जबकि वर्त्तमान स्थिति में यह अनुपात 58:1 है। शिक्षक अनुपात बढ़ा होना एक चिंता का विषय है।

जिलों के वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट 2012–13 के अनुसार में 6–13 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या वर्ष 2010 में 2,18,09,131 थी, जिसमें 1,15,52,836 लड़का एवं 1,02,56,295 लड़कियाँ थी। वर्ष 2001 में विद्यालय के बाहर बच्चों की संख्या 45,75,692 (26 प्रतिशत) थी, जिसमें लड़कियों की संख्या 23,14,889 (29 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जाति की संख्या 9,71,179 (29 प्रतिशत) थी। वर्ष 2012 के वार्षिक कार्य–योजना के अनुसार स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या 2,82,699 (0.30 प्रतिशत), लड़कियों की संख्या 1,71,594 (1.30 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या 85,961 (2 प्रतिशत) तथा अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या 40,061 (1.60 प्रतिशत) रह गई है। **यद्यपि ये आंकड़े देखने में तो बहुत संतोषप्रद लगते हैं, पर इनमें दुहरा नामांकन की शिकायत काफी मिलती रहती है। इन्हें ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अभी विद्यालयों में लगातार अनुपस्थिति के आधार पर नाम काटने के संबंध में स्पष्ट नीति नहीं है। अतः लगातार अनुपथित होने पर भी नाम लिखा ही रहता है।**

साथ ही नामांकन के आंकड़े हैं, वास्तव में विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ने वाले बच्चों के नहीं। शिक्षाधिकार के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इस बात की छानबीन की जाए कि वास्तव में कितने बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं।

विद्यालय से बाहर के बच्चे

विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या की अगर समीक्षा की जाए तो यह पाया जाऐगा कि वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक विद्यालय से बाहर के बच्चों की तेजी से कमी आई। उसके बाद कमी आने का सिलसिला थम सा गया है। यह बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि धीरे–धीरे **विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे बहुत ही कठिन श्रेणी के होते जाते हैं तथा उन्हें विद्यालय में लाने के लिए नई रणनीति की आवश्यकता है।**

वर्ष	कुल	लड़के	लड़कियाँ
2001-02	4575692	2260803	2314889
2006-07	2114469	1053145	1061324
2008-09	1010730	493127	517603
2011-12	282669	149271	133398

	2001-02	2006-07	2008-09	2011-12
6-14 Years	4575692	2114469	1010730	282669
6-11 Years	3227580	1309717	581101	166841
11-14 Years	1438112	804752	429629	115828

नामांकन प्रवृत्ति (सभी विद्यालयों में)

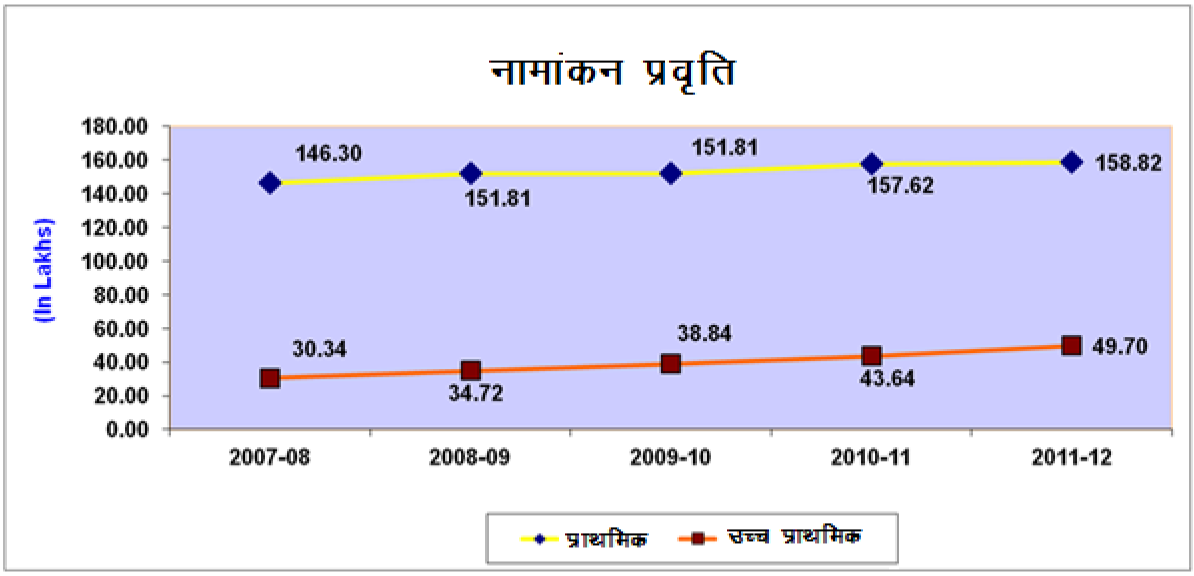

- **प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर नियमित नामांकन बढ़त**

यदि नामांकन की प्रवृÙा को ध्यान से देखे तो पायेंगे कि नामांकन में नियमित रूप से बढ़ाव होता रहा है। यही बढ़ाव लड़कियों एवं अनुसूचित जाति के बच्चों में भी देखने को मिलता है।

सकल नामांकन अनुपात

सकल नामांकन अनुपात का आंकड़ा ऊपर की तालिका में दिया गया है। तालिका को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह अनुपात प्राथमिक स्तर पर स्थिर सा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि लड़कियों के संबंध में यह अनुपात लड़कों की तुलना में बेहतर है। करीब 8 प्रतिशत का

जेन्डर का विलोमित अंतर प्राथमिक एवं मध्य स्तर पर दीखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य स्तर पर यह अनुपात पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है।

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर			उच्च प्राथमिक स्तर पर		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2011-12	**98**	**106**	**102**	**76**	**84**	**80**
2010-11	101	106	103	70	74	72
2009-10	101	103	102	65	66	65
2008-09	102	108	105	57	58	57
2007-08	103	105	104	53	50	52

पर इन आंकड़ों को गहराई से समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक तरफ जब राज्य में लिंगानुपात घट रहा है तो सरकारी विद्यालयों में लड़कों की तुलना में लड़कियाँ अधिक नामांकित हो रही हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि अभिभावकगण लड़कों को सरकारी विद्यालयों में न पढ़ाकर गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित करा रहे हैं। इस तथ्य का खुलासा तभी हो सकता है, जब सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों के आंकड़ों को मिलाकर समीक्षा की जाए तो यह पता चल सकता है।

वास्तविक नामांकन अनुपात

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर			उच्च प्राथमिक स्तर पर		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2011-12	**92**	**99**	**95**	**69**	**76**	**72**
2010-11	94	98	96	62	65	63
2009-10	96	98	97	60	60	60
2008-09	97	102	99	51	52	52
2007-08	96	97	97	46	44	45

वास्तविक नामांकन अनुपात को देखे तो इसमें भी प्राथमिक स्तर पर काफी स्थिरता दीख रही है। लड़कियों के मामले में यह अनुपात लड़कों से बेहतर है। करीब 7 प्रतिशत का जेन्डर का विलोमित अंतर प्राथमिक एवं मध्य स्तर पर दीखता है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य स्तर पर यह अनुपात पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा है।

प्राथमिक स्तर पर नामांकन प्रवृति

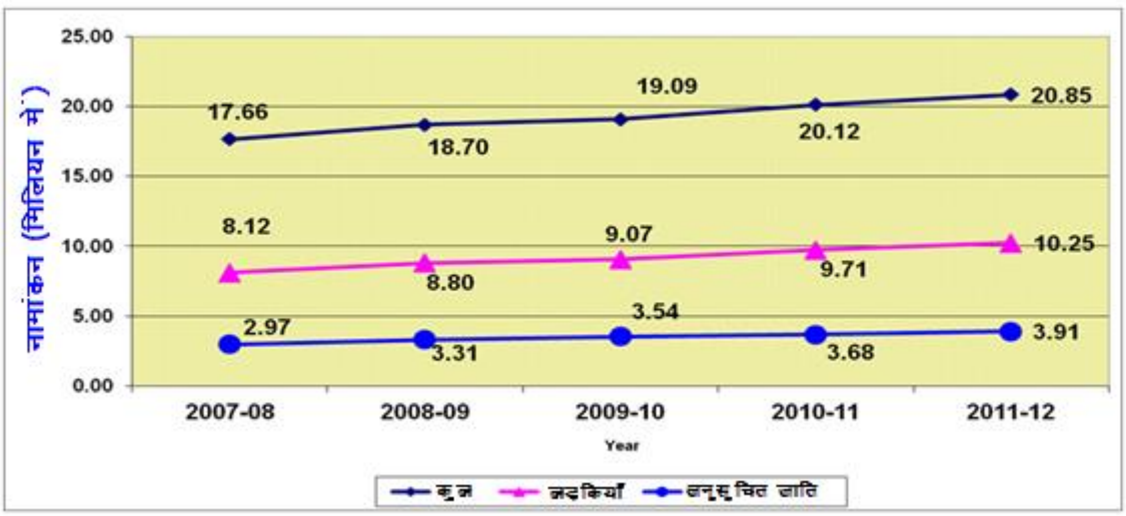

प्राथमिक से मध्य परिवर्तन दर

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
Boys	65.94	70.08	71.23	74.86	76.28
Girls	65.29	71.36	74.13	79.62	80.81
Total	65.60	70.50	72.55	77.06	78.42

प्राथमिक से मध्य में परिवर्तन के आंकड़ों को अगर देखे तो इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर लड़कियों के मामले में यह परिवर्तन काफी तेजी से हुआ है। यह एक सुखद संकेत है।

अगर राज्य के विभिन्न जिलों को देखा जाए तो प्राथमिक से मध्य में परिवर्तन की स्थिति निम्न प्रकार उभरती है।

प्राथमिक से मध्य विद्यालय में परिवर्त्तन दर

(राज्य औसत – 78.42, वर्ष 2011–12 में)

परिवर्त्तन दर	जिलों की संख्या	जिले का नाम
> 90	2	खगड़िया, नालन्दा
85 – 90	6	अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा, वैशाली
80 – 85	9	जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सिवान
75 – 80	11	बाँका, गया, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल
70 – 75	5	भागलपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा
< 70	5	अररिया, भोजपुर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ

- कक्षा 5 के सभी बच्चों का नामांकन कक्षा 6 में सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

स्पष्टतः 21 जिले में परिवर्तन का दर 80 प्रतिशत से कम है। 5 जिले अररिया, भोजपुर, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण, पूर्णियाँ में तो परिवत्त् ानि दर 70 से भी कम है। जहाँ इन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर कौन से कारण हैं जिनके कारण 5वां के बाद छठी कक्षा में नामांकन की दर में इतनी कमी आ जाती है। **इसका एक कारण निकट में विद्यालय का अभाव हो सकता है। यह आवश्यक है कि मध्य विद्यालय बसावट के नजदीक हो ताकि बच्चों को वहाँ जाने में कठिनाई न हो।**

नए विद्यालय

राज्य सरकार यह दावा करती है कि शिक्षाधिकार अधिनियम के लागू होने के पश्चात करीब 18000 विद्यालयों की स्वीकृति दी गयी है, पर इनमें से कितने अभीतक चालू हो पाए हैं यह जाँच का विषय है। अभी भी इनमें से कई विद्यालय दूसरे विद्यालय के साथ एक ही परिसर में ही चल

रहे हैं क्योंकि इनमें अलग भवन की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इन सभी विद्यालयों के लिए अलग भवन की व्यवस्था अत्यावश्यक है।

शहरों में स्थिति और भी विषम है। यहाँ टोले से दूरी का पालन और भी नहीं हो रहा है। बिहार में झुग्गी झोपड़ियों के लिए भी खुले विद्यालय स्थायी भूमि तथा भवन के अभाव में बंद कर बगल के विद्यालय में मिला दिए जा रहे हैं। इससे उन बस्तियों से विद्यालय की दूरी काफी बढ़ गयी है।

नए मध्य विद्यालय

बिहार में विद्यालयों की संख्या निम्नवत है :

विद्यालयों की संख्या	**:**	**73,577**
प्राथमिक	**:**	**42,709**
सरकारी	:	42,629
सरकारी सहायता प्राप्त	:	80
उच्च प्राथमिक विद्यालय	**:**	**30,098**
सरकारी	:	29,133
सरकारी सहायता प्राप्त	:	965
उच्च विद्यालय (कक्षा 6 से 8)	**:**	**770**
सरकारी	:	0
सरकारी सहायता प्राप्त	:	770

राज्य में 73577 विद्यालयों में से केवल 30,098 में मध्य एवं प्राथमिक दोनो की पढ़ाई होती है। 42709 विद्यालयों में केवल प्राथमिक स्तर की पढ़ाई होती है। मध्य विद्यालय की कमी के कारण प्राथमिक कक्षा के बाद बड़े पैमाने पर छीजन होता है। मध्य विद्यालय में कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यलय में उत्क्रमित कर दिया जाए। **यदि इन विद्यालयों में भूमि उपलब्ध है तो भवन बनाकर तुरत मध्य विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है। पर यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए भूमि के अर्जन की कार्रवाई करने की आवश्यकता है।**

निःशुल्क परिवहन

यदि भूमि के अभाव में विद्यालय चलाना सम्भव न हो तो उन बच्चों के लिए विद्यालय तथा घर के बीच निशुल्क परिवहन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। **अभी तक एक स्थान पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नही की गयी है। निशुल्क परिवहन की व्यवस्था निःशक्त बच्चों के संदर्भ में और भी आवश्यक है। प्राथमिक के इन बच्चों के लिए एक किलोमीटर की दूरी भी काफी अधिक हो जाती है। उससे अधिक दूरी होने पर विद्यालय तक इनका पहुँच और भी कठिन हो जाएगा। अतः इन बच्चों के प्राथमिकता के आधार पर निशुल्क परिवहन की व्यवस्था अपरिहार्य है।**

अन्तर्विद्यालयी स्थानान्तरण

पड़ोस के विद्यालय में नामांकन के अधिकार का एक सामान्य प्रतिफल यह है कि राज्य के भीतर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर एक विद्यालय से छोड़कर दूसरे पड़ोस के विद्यालय में नामांकन लेने का भी अधिकार दिया जाए तथा इस अधिकार की प्राप्ति की प्रक्रिया भी सहज बना दी जाए। इस प्रसंग में अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी है कि स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलंब को नजर अंदाज करते हुए नए विद्यालय में प्रवेश ले लिया जाए। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने में विलंब करने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक या भारसाधक उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उÙारदायी भी बनाया गया है।

स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि **बिहार में स्थानांतरण प्रमाण–पत्र लेने तथा उसके आधार पर दूसरे विद्यालयों में नामांकन कराने की प्रक्रिया बहुत प्रचलन में नहीं आ पाई है।** सामान्यतया ऐसा देखा जा रहा है कि अभिभावकगण बिना एक विद्यालय से नाम कटाये दूसरे विद्यालय में जाकर अपने बच्चे का दुबारा नामांकन करवा लेते हैं। इससे सरकार एवं विद्यालय के संसाधनों पर दुहरा भार पड़ता है। राज्य सरकार द्वारा कराये गये जाँच में कई हजार बच्चे दोहरा एवं तिहरा नामांकन कराये हुए पाये गये हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में यह निर्देश दिया है कि यदि कोई बच्चा 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित होता है तो उसका नाम नामांकन पंजी से हटा दिया जाए। यदि दुबारा वह उपस्थित होता है तो फिर से उसे नामांकित किया जाए। इस व्यवस्था से कई स्थानों पर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। **कई प्रधानाध्यापक दुबारा नामांकन को प्रोत्साहित नहीं करते तथा उसमें कई तरह की बाधाएँ उत्पन्न करते हैं। दुबारा नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा व्यापक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।**

निःशुल्क शिक्षा

शिक्षाधिकार अधिनियम में शिक्षा को पूरी तरह निशुल्क रखने की व्यवस्था है तथा शिक्षा की **प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में शुल्क की व्यवस्था नहीं है।**

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक

राज्य में पुस्तकें भी निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पर स्थानीय सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है कि **विद्यालयों में पुस्तकों के परिवहन के नाम पर पैसा लिया जाता है।** उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जिला/प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय से विद्यालय तक पुस्तकों के परिवहन हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है। इसी नाम पर प्रधानाध्यापकों द्वारा छात्रों से पुस्तक वितरण के समय राशि की माँग की जाती है। इसे अविलम्ब बंद करने की आवश्यकता है तथा **राज्य सरकार द्वारा जिला/प्रखण्ड शिक्षा कार्यालय से विद्यालय तक पुस्तकों के पहुँचाने हेतु आवश्यक धनराशि का आवंटन जिला में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**

पिछले कुछ वर्षों का यह अनुभव रहा है कि पाठ्य–पुस्तकों के वितरण में काफी विलम्ब हो जाता है। पाठ्य–पुस्तक की छपाई का स्वत्वाधिकार बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम को है। वे ही पाठ्य–पुस्तकों की छपाई करते हैं तथा वहाँ छपाई में विलम्ब होने से बच्चों को समय से पाठ्य–पुस्तक नहीं मिल पाता है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब पाई गई है कि पूरे वर्ष बच्चों

को बिना पाठ्य–पुस्तक के रहना पड़ा है। बहुधा विद्यालयों से कम संख्या में या किसी–किसी कक्षा में तो बिल्कुल ही नहीं पुस्तके प्राप्त होने की शिकायतें मिलती रही है। **यद्यपि वर्ष 2012–13 में इसमें सुधार हुआ है, पर अच्छा यह होगा कि प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य–पुस्तकें मार्च माह में अवश्य पहुँच जाएँ।**

पोशाक

बिहार राज्य में सभी बच्चों के पोशाक के लिए कक्षा 1 से 4 के बच्चों को 500 रूपये तथा 5 से 8 के बच्चों को 700 रूपये उपलब्ध कराई जाती है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। पर यह राशि सामान्यतः वर्ष खत्म होने के समय ही बच्चों को मिल पाती है। **इससे पोशाक पहनकर विद्यालय जाने से जो बच्चों को उत्प्रेरणा मिलती, उससे वे वंचित हो जाते है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पोशाक की राशि वर्ष के प्रारंभ में ही बच्चों को मिल जाए।**

छात्रवृति

बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जातिं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इनपर परिवार के आय का कोई बंधन नहीं है। पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए पारिवारिक आय 1 लाख रखने की सीमा रखी गई है।

इन छात्रवृत्तियों का सार्वजनीकरण किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। पर ये छात्रवृतियाँ छात्रों को वर्ष के अंत में ही मिल पाती हैं। इसलिए उन्हें इस छात्रवृत्ति से होने वाला लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता है।

पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए पारिवारिक आय की सीमा रखने से उन्हें आय प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है। इससे बड़े पैमाने पर आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए तैयारी करने की जरूरत है।

वर्ष 2012–13 से छात्रवृत्तियों को अप्रील से सितम्बर माह में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर ही छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था रखी जा रही है। **यद्यपि उपस्थिति के साथ छात्रवृत्ति को जोड़ना उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक कारगर कदम हो सकता है, पर इससे छात्रवृत्ति के वितरण में अवश्य विलम्ब होगा।**

छात्रवृत्तियों के वितरण में कैम्प एप्रोच अपनाया जा रहा है। कैम्प एप्रोच के लिए सामान्यतया पंचायत से इतर स्थान पर कैम्प लगाया जाता है। इससे बच्चों के अभिभावकों को कम से कम एक दिन का समय बर्बाद हो जाता है। चूँकि, अधिकांशतः ये बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, जिनके लिए एक दिन की मजदूरी काफी मायने रखती है। **अतः इस बात पर विचार किये जाने की जरूरत है कि कैम्प में आने के दिन बच्चे के अभिभावक को उसके मजदूरी की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाए।**

मध्याह्न भोजन

बिहार के सभी विद्यालयों में मध्याह्न योजना का विस्तार कर दिया गया है। **पर अभी तक 34197 विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण नहीं हो पाया है। चूँकि, पेयजल की व्यवस्था भी**

4912 विद्यालयों में नहीं हो पायी है। अतः इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का निर्माण एवं वितरण सुचारूपूर्ण नहीं होता। मध्याह्न भोजन में गुणवत्ता की काफी शिकायत मिलती रहती है।

सम्प्रति मध्याह्न भोजन के लिए चावल की आपूर्त्ति भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय तक राज्य खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है। समय से विद्यालय खाद्यान्न न पहुँचना एक आम शिकायत है। आपूर्त्ति खाद्यान्न के वजन में कमी की भी काफी शिकायतें मिलती रहती है। **अच्छा होगा यदि सभी विद्यालयों पर एक तराजू रख दिया जाए तथा उससे तौलकर ही खाद्यान्न प्राप्त किया जाए।**

खाद्यान्न का भंडारण एक गंभीर समस्या है। जहाँ किचेन शेड का निर्माण नहीं हुआ है, वहाँ शिक्षक किसी निजी मकान में इसका भंडारण करते हैं। निजी मकान में रखने के लिए किसी मकान किराया की व्यवस्था नहीं है। जहाँ किचेन शेड न बना हो, वहाँ भंडारण हेतु किराया देना उचित जान पड़ता है।

मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न भंडारण निर्माण एवं वितरण का पर्यवेक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा देखा जाता है कि विद्यालय के प्रधान शिक्षक को ही यह कार्य करना पड़ता है। इनका काफी अधिक समय खाद्यान्न भंडारण में से दाल, तेल, ईंधन प्रतिदिन लाकर विद्यालय के रसोईया को खाद्यान्न देने, सभी मध्याह्न भोजन करने वाले की उपस्थिति लेने तथा भोजन पर हुए व्यय का लेखा रखने में ही लग जाता है। इससे विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होती है। **यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षकों को मध्याह्न भोजन के कार्य से एकदम अलग कर दिया जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर एक अलग मध्याह्न भोजन पर्यवेक्षक रखना व्यवहारिक कदम हो सकता है। वैसे अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों (दशकीय गणना, चुनाव, आपदा कार्य को छोड़कर) में नहीं लगाया जाए।**

विशेष प्रशिक्षण द्वारा उम्र के अनुसार नामांकन

शिक्षाधिकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि छः वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाऐगा। परंतु, जहाँ किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है वहॉ उसे अन्य बालकों के समान होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर, जो निहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश–पत्र कोई बालक चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के भाग 2 में वर्णित है। अधिनियम की धारा–4 के प्रथम परंतुक के प्रयोजनार्थ विशेष प्रशिक्षण की नियमावली में निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है :

'' 3(1) विद्यालय शिक्षा समिति/स्थानीय प्राधिकार विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित करेगा तथा उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण निम्नलिखित तरीके से आयोजित करेगाः–

(क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षणिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी उम्र सापेक्ष अधिगम सामग्री पर आधारित होगा।

(ख) यह प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में अथवा सुरक्षित आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित किया जाऐगा।

(ग) यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा

(घ) इस प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3(तीन) महीने की होगी जिसे बच्चों की अधिगम प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2(दो) वर्षों तक विस्तारित किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 2(दो) वर्षों की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् उम्र सापेक्ष कक्षा में नामांकन के बाद संबंधित विद्यालय के शिक्षक के द्वारा इस कोटि के बच्चों पर तब तक विशेष ध्यान दिया जाएगा जब तक कि वे अन्य बच्चों के साथ शैक्षणिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ न जाए।''

राज्य में विशेष प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण केन्द्र निम्न प्रकार हैं।

Status of Alternative Innovative Centres

Intervention	As on September 2010		As on September 2011	
	No. of Centres	Children covered	No. of Centres	Children covered
Utthan Kendra	19942	515098	19962	620200
Talimi Markaj	3770	75394	3851	84456
Utpreran Kendras	1040	61671	933	49650

Intervention	As on September 2010		As on September 2011	
	No. of Centres	Children covered	No. of Centres	Children covered
Maktab Madrasa Kendras	815	16309	2381	52382
Innovative NRBC by NGO	254	6336	70	3965
RBC by NGOs	118	7260	262	1950
Total	**25939**	**682068**	**27459**	**812603**

Source : Bihar Education Project (BEP) Council, GOB

उत्थान केन्द मुख्यतः महादलित टोले के तथा तालीमी मरकज अल्पसंख्यक टोले के बच्चे को ठोलासेवक/ स्वयंसेवक के माध्यम से विद्यालय भेजने का केन्द्र है। उत्प्रेरण केन्द में ब्रिज कोर्स के माध्यम से विद्यालय के बाहर के बच्चे को अपनी कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार किया जाता है। सम्प्रति टोला सेवक एवं तालिमी मरकज के स्वयंसेवकों के माध्यम से क्रमशः महादलित एवं अल्पसंख्यक के बस्तियों में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी थी। पिछले वर्षों का यह अनुभव रहा है कि ये स्वयंसेवक सामान्यतया केवल बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के काम में लगे रहे तथा बच्चों के विशेष प्रशिक्षण के लिए बहुत कार्रवाई नहीं कर सके। उत्थान केन्द्र एवं तालिमी मरकज मृतप्राय हो गए हैं। बिहार में सरकार ने टोला सेवक एवं तालिमी मरकज के स्वयंसेवकों को बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया है। पर साथ ही साथ उन्हें इन वर्गों के असाक्षर महिलाओं को भी साक्षर बनाने का दायित्व भी दिया गया है। **दोनों तरह के उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार किया जाऐगा, इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है।**

विद्यालय प्रबंध समिति जिसे बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 में **विद्यालय शिक्षा समिति कहा गया है का चुनाव और गठन अब तक नियमावली के अनुरूप नहीं हुआ है। इसका गठन यथा शीघ्र अनिवार्य है क्योंकि यह शिक्षाधिकार लागू कराने की दिशा में यह एक विशिष्ट कार्यान्वयन इकाई है।**

विद्यालय शिक्षा समिति/स्थानीय प्राधिकार को इस बात के लिए जिम्मेदार बनाया गया है कि वे अपने क्षेत्र के बच्चों की पहचान करें, जिन्हें इस प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। **स्पष्टतः विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए एक मैनुअल बनाये जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अपने–अपने क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाकर उन बच्चों की पहचान कर ली जानी चाहिए, जिन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्कता है।**

विशेष प्रशिक्षण के साथ यह भी आवश्यक है कि जो बच्चे सम्प्रति अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण के पश्चात् अपने उम्र की कक्षा में प्रोन्नति देने की एक स्पष्ट नीति बनाई जाए। इस प्रकार की कोई नीति अभी बनाई नहीं गई है।

घुमन्तु समुदाय के बच्चों, नट, सेक्स वर्क के बच्चे, किन्नर, भीख माँगते बच्चे, बाल श्रम वाले बच्चे विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप उम्र सापेक्ष अधिगम सामग्री विकसित करना जरूरी है ताकि वे सहजता से विशेष प्रशिक्षण के सहभागी बन सके और उन्हें अपना सके।

उम्र सापेक्ष कक्षा में न पढ़ पाना छीजन का एक बड़ा कारण है। विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था को अधिक गंभीरता से तथा प्रभावी ढ़ंग से लेने की जरूरत है।

पलायित परिवार के बच्चे की समस्या

चूँकि बिहार में काफी बड़ी जनसंख्या स्थायी या स्थायी तौर पर कम या अधिक समय के लिए पलायन करती है अतः उन परिवारों के बच्चों की समस्याओं को काफी गंभीरता ये लेने की जरूरत है।

बिहार में बड़ी संख्या में लोग जीविका के लिए राज्य के अंदर और बाहर जाते रहते हैं। वे अपने परिवार को घर पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे परिवारों में माताओं पर ही घर का पूरा बोझ रहता है। ऐसे में बच्चे को माता को सहयोग करने के लिए घर के कामों में लगना पड़ता है। ऐसे में वे विद्यालय की पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में साक्षर भारत कार्यक्रम/राज्य द्वारा संचालित साक्षरता कार्यक्रम (महादलित साक्षरता कार्यक्रम) के द्वारा नव साक्षर माताओं को आर.टी.ई. शिक्षाधिकार के उन प्रावधानों जिसमें माता–पिता/अभिभावक की भूमिका पर आधारित प्रवेशिका विकसित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में आर.टी.ई. शिक्षाधिकार और साक्षरता कार्यक्रम के साथ अभिसरण किया जा सकता है।

विधवाओं के बच्चों के लिए विशेष योजना

विधवाओं के बच्चे की समस्या अलग होती है। विशेषकर लड़कियों की समस्या गंभीर है। उनके लिए अलग से योजना बनाने की जरूरत है।

विशेष प्रशिक्षण में गैर सरकारी संस्थाओ की विशिष्ठ भूमिका

विशेष प्रशिक्षण में गैर सरकारी संस्थाएँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उनकी पैठ जन समुदाय तक बेहतर है। कई गैर सरकारी संस्थाओं ने विशेष प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम के संचालन के क्षेत्र में काफी अच्छी भूमिका निभायी है। गैर सरकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पर विशेष प्रशिक्षण में जोड़ने की आवश्यकता है।

छात्र कक्षा अनुपात

राज्य के विभिन्न जिलों में विद्यालयों में षिक्षाधिकार अधिनियम के मापदंड से विपरीत छात्र कक्षा अनुपात की स्थिति निम्न प्रकार है :

Sl No	District	Primary			Upper Primary		
		No. of Schools	No. of Schools having SCR>30	%	No. of Schools	No. of Schools having SCR>35	%
1	Araria	1071	835	78%	601	569	95%
2	Arwal	338	272	80%	187	176	94%
3	Aurangabad	1053	787	75%	866	839	97%
4	Banka	1123	821	73%	787	745	95%
5	Begusarai	907	592	65%	636	636	100%
6	Bhagalpur	1073	854	80%	809	763	94%
7	Bhojpur	1279	964	75%	767	752	98%
8	Buxar	725	444	61%	463	426	92%
9	Darbhanga	1399	947	68%	953	894	94%
10	East Champaran	1947	1231	63%	1157	1157	100%
11	Gaya	1764	1469	83%	1259	1201	95%
12	Gopalganj	1007	598	59%	666	635	95%
13	Jamui	972	370	38%	744	679	91%
14	Jehanabad	542	483	89%	346	339	98%
15	Kaimur	755	606	80%	424	424	100%
16	Katihar	1207	893	74%	769	717	93%
17	Khagaria	531	339	64%	513	492	96%
18	Kishanganj	871	651	75%	550	483	88%
19	Lakhisarai	492	295	60%	264	265	100%
20	Madhepura	793	366	46%	626	610	97%
21	Madhubani	2077	1695	82%	1069	1027	96%
22	Munger	619	422	68%	426	399	94%
23	Muzaffarpur	1923	1600	83%	1146	1031	90%
24	Nalanda	1335	1029	77%	855	791	93%
25	Nawada	938	739	79%	655	622	95%
26	Patna (R+U))	2169	1573	73%	1178	1063	90%
27	Purnea	1279	793	62%	765	710	93%
28	Rohtas	1240	969	78%	807	772	96%
29	Saharsa	747	333	45%	503	482	96%
30	Samastipur	1502	993	66%	1001	935	93%
31	Saran	1565	1063	68%	967	899	93%
32	Sheikhpura	226	186	82%	222	200	90%
33	Sheohar	220	128	58%	197	193	98%
34	Sitamarhi	1207	649	54%	916	885	97%
35	Siwan	1224	837	68%	891	854	96%
36	Supaul	1049	472	45%	675	631	93%
37	Vaishali	1100	824	75%	937	921	98%
38	West Champaran	1535	1141	74%	978	873	89%
	Total	**41804**	**29263**	**70%**	**27575**	**26090**	**95%**

Source: DISE Data.

स्पष्टतः 70 प्रतिषत प्राथमिक विद्यालयों तथा 95 प्रतिषत मध्य विद्यालयों में निर्धारित मापदंड से कम कक्षाएँ हैं।

विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

राज्य के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार हैः

स्कूलों की संख्या	70508		
मद	**आवश्यकता**	**उपलब्धि**	**अन्तर**
भवन	70508	60600	9908
ब्लैक बोर्ड	70508	70156	352
लड़कों के लिए शौचालय	70508	25818	44690
कॉमन शौचालय	70508	28465	42043
लड़कियों के लिए शौचालय	70508	32556	37952
बिजली	70508	3259	67249
बुक बैंक	70508	24506	46002
खेल का मैदान	70508	22695	47813
रैम्प्स	70508	40548	29960
मेडिकल चेकअप	70508	28492	42016
कम्प्यूटर	70508	1074	69434
सभी विद्यार्थियों के लिए कुर्सी–टेबुल	70508	7113	63395
कुछ विद्यार्थियों के लिए कुर्सी–टेबुल	70508	29405	41103
सभी शिक्षकों के लिए कुर्सी–टेबुल	70508	46258	24250
कुछ विद्यार्थियों के लिए कुर्सी–टेबुल	70508	17853	52655
किचेन शेड	70508	36311	34197
चपाकल / जल उपलब्धता	70508	65596	4912

DISE **2011 के आधार पर**

विद्यालय भवन

बिहार में 6419 विद्यालय बिना भवन के हैं। करीब 2 लाख कक्षाएं बनाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर इन भवनों को बनाने की आवश्यकता है।

भूमि का अभाव

अब विद्यालय में भवन का निर्माण में एक बड़ी समस्या भूमि की है। अब बिहार में गैर मजरूआ भूमि की काफी कमी हो गयी है। अतः विद्यालय के लिए गैरमजरूआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर कोई जमीन उपलब्ध होता भी है तो वह स्थल विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। शिक्षाधिकार के दृष्टिकोण से विद्यालय का स्थल भी इस प्रकार चुना जाना है ताकि वे अपने विद्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले बसावटों के निकट हो सकें।

भूमि के दान की प्रक्रिया का सरलीकरण

विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसके या उसके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति के नाम पर विद्यालय का नाम रख दिया जाए। केवल शÙा यह है कि संबंधित व्यक्ति का चरित्र सही होना चाहिए। यह प्रथा लोकप्रिय नहीं हो पाया है क्योंकि इसके अंतर्गत दान की स्वीकृति एवं मुद्रांक कर एवं निबंधन शुल्क की माफी की प्रक्रिया काफी जटिल तथा समय साध्य है। ऐसे में दानकÙा दान की इच्छा रखते हुए भी इसमें भाग नहीं ले पाते। **कई दानकÙा तो राज्य से बाहर रहते हैं। यदि दान की इच्छा के संबंध में पत्राचार ऑनलाइन बना दिया जाए तथा सभी औपचारिकता पूरी करने पर केवल निबंधन हेतु उन्हें बुलाया जाए तो यह योजना अधिक लोकप्रिय हो सकेगी तथा इसमें अधिक व्यक्ति भाग ले सकेंगे।**

भूमि के क्रय की व्यवस्था

जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध न हो तथा दान पर भी भूमि उपलब्ध नहीं हो रहा हो वहाँ विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन–निर्माण के लिए भूमि के क्रय के अलावा कोई विकल्प नहीं है। **इसके लिए एक विशेष योजना अविलंब बनायी जानी चाहिए।**

मकान भाड़े पर लेना

भूमि के क्रय का एक विकल्प यह हो सकता है कि लोगों की निजी भूमि पर बने मकान को ही विद्यालय/आंगनबाड़ी संचालन के लिए किराया पर ले लिया जाए। **इसके लिए एक डिजाइन बनाकर लोगों को अपनी भूमि पर निर्धारित मापदंड के अनुसार मकान बनाने के लिए उद्यत किया जाए तथा उसे विद्यालय/आंगनबाड़ी के लिए भाड़ा पर ले लिया जाए। राज्य सरकार को इसके लिए एक योजना अविलंब बनानी चाहिए।**

खेल का मैंदान

विद्यालय की अवधारणा में भवन के साथ खेल का मैंदान भी शामिल है। यह बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। परन्तु भूमि के अभाव में बहुतेरे विद्यालयों में खेल का मैंदान नहीं है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि आदर्श विद्यालय के स्वरूप में खेल का मैंदान की अनिवार्यता को देखते हुए उसे उपलबध कराना चाहिए बशर्ते मैंदान संवेदी ढ़ंग से विकसित किया गया हो। उसमें वाटिका, वृक्ष उपवन विकसित किया जाए।

चापाकल

राज्य में 65596 विद्यालयों में चापाकल लगाया गया बताया जाता है। अभी तक 4912 विद्यालयों में चापाकल नहीं है। यहाँ चापाकल अविलम्ब लगाये जाने की व्यवस्था है। **जिन विद्यालयों में अधिक बच्चे हैं, वहाँ बच्चों की संख्या के आधार पर अधिक चापाकल लगाने की आवश्यकता है। कम चापाकल होने से मध्याह्न भोजन के पहले तथा बाद में बच्चों को हाथ धोने में काफी समय लग जाता है।** चापाकल के संधारण भी एक विषम समस्या है। चापाकल खराब होने पर लोग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन के अभियंताओं की प्रतीक्षा करते हैं।

शौचालय

करीब 20 हजार विद्यालयों में शौचालय बनाने की आवश्यकता है। 41 हजार विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाने की जरूरत है। इन्हें निर्धारित समय–सीमा के तहत बनाए जाने की जरूरत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बच्चों की संख्या के अनुरूप विद्यालय में चापाकल लगाने के लिए एक मापदंड विकसित किया जाए।

शौचालय के साथ चापाकल

सामान्यतया यह देखा जा रहा है कि शौचालय के साथ चापाकल नहीं बनाया जाता है। अगर विद्यालय कैम्पस में भी चापाकल बनाया जाता है तो भी कई स्थानों पर इसे विद्यालय से इसे काफी दूर बनाया जाता है। ऐसी अवस्था में इन शौचालयों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। **विद्यालय में शौचालय के साथ चापाकल अवश्य बनाया जाए तथा यथासम्भव शौचालय के ऊपर एक पानी की टंकी भी बनाकर वहाँ नल के द्वारा जलापूर्त्ति की जाए।**

शिक्षकों के लिए अलग शौचालय

ऐसा पाया गया है कि विद्यालय में जो शौचालय बने हैं उनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षकगण इसे बंद कर इसकी चाभी अपने पास रख लेते हैं। इस प्रथा पर अविलंब रोक लगाने की जरूरत है। **साथ ही यह भी आवश्यक है कि जिस विद्यालय में अधिक शिक्षक हों वहाँ शिक्षक के लिए अलग शौचालय भी बना दिया जाए।**

शौचालय का संधारण/ सफाई

शौचालय का संधारण/ सफाई के लिए अलग से विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए संसाधन की व्यवस्था करने की जरूरत है। साथ ही साथ सफाई एवं विशेषकर हाथ की साफ–सफाई पर यूनिसेफ की जागरूकता पैकेज प्रत्येक विद्यालय में संचालित कर साफ–सफाई की स्पष्ट समझ विकसित की जा सकती है।

गैर सरकारी विद्यालय

सभी विद्यालय की मान्यता

शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों को कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक बच्चों का नामांकन बिना कोई शुल्क दिये करना है। इसके लिए उन विद्यालयों को राज्य सरकार के द्वारा नियमावली के 8(1) में वर्णित निम्न तरीके से प्रति बच्चा व्यय की प्रतिपूर्ति करने का भी प्रावधान है।

'' राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधिगृहित, नियंत्रित अथवा प्राधिकारों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर किए जा रहे कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे वह राज्य सरकार अपनी निधि से या केन्द्र सरकार की निधि से या किसी अन्य प्राधिकार की निधि से व्यय करतीं है, उस राशि को सभी बच्चे, जो उन विद्यालयों में नामांकित होंगे, उनसे भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति बच्चा व्यय माना जाएगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। विद्यालय को राशि का भुगतान प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से चेक के द्वारा की जाएगी।

व्याख्या :– (1) प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रतिपूर्त्ति के रूप में प्राप्त राशि के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जाएगा। ''

यह प्रावधान शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं नियमावली के अधीन अत्यन्त ही चर्चा एवं वाद विवाद का मुद्दा रहा है। इसके समर्थक इसे एक बहुत बड़ी विजय मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि विद्यालय चाहे जो भी हो उसमें आर्थिक बाधा के कारण बच्चों के प्रवेश पर रोक नहीं लगना चाहिए। इस संदर्भ में वे मानते हैं कि 25 प्रतिशत के आरक्षण से उन विद्यालयों में एक समावेशी वातारण तैयार होगा जो अन्तोगत्वा सभी बच्चों को मदद करेगा। इसके विरोधियों का यह तर्क रहा है कि कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों का निजी विद्यालयों में केवल निःशुल्क नामांकन से निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होगी। उनका कहना है कि विद्यालयों में केवल ट्यूशन शुल्क पर ही बच्चों का व्यय नहीं होता वरन पाठ्य पुस्तकें, पोशाक, विभिन्न गतिविधियों, भ्रमण, खेल–कूद आदि पर भी व्यय होता है। अतः केवल ट्यूशन शुल्क की माफी से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित करना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त घर पर कई आधारभूत संरचनात्मक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए कई स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से गृह कार्य पूरा करना पड़ता है। यदि घर पर कम्प्यूटर न हो तो बच्चे इससे बंचित रह जा सकते हैं।

स्पष्टतः अधिनियम के इस प्रावधान को बहुत सावधानी से तथा संजीदगी से लागू किए जाने की आवश्यकता है। 25 प्रतिशत का यह आरक्षण कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों के लिए लागू किया जाना है। बिहार में इस श्रेणी के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अत्यन्त पिछड़ी जाति के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। अधिनियम के अनुसार ये दोनों वर्ग निम्न प्रकार से परिभाषित हैं :–

''उपेक्षित वर्ग के बच्चों से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से या ऐसे अन्य वर्ग जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक या जेन्डर या अन्य किसी कारण जो संगत सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे।

कमजोर वर्ग के छात्रों से अभिप्रेत है ऐसे माता–पिता या अभिभावक जिनकी वार्षिक आय की सीमा सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो।''

स्पष्टतः **बिहार में कमजोर वर्ग परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। उपेक्षित वर्ग के अन्तर्गत भी उच्च जातियों को छोड़कर अन्य सभी जातियों को उपेक्षित वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात् करीब तीन चौथाई जनसंख्या उपेक्षित वर्ग की श्रेणी में आ गई है।** इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रावधान की मूल भावना के विपरीत है। इससे जिन बच्चों को जिस उपेक्षित वर्ग के बच्चों की विद्यालयों में समावेश की अपेक्षा है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। लौटरी की व्यवस्था से यह केवल आम जन के लिए लौटरी लगने की बात हो जाती है। जिनकी लौटरी में नाम निकलती है उन्हें ट्यूशन फीस के बोझ से मुक्ति मिल जाती है। इससे उन परिवारों को निराशा होती है जो उपेक्षित रहते हुए अत्यन्त गरीब रहते हैं तथा जिनका लौटरी में नाम नहीं आता है। **यह आवश्यक है कि कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के परिधि को छोटा किया जाए तथा लौटरी सिस्टम को भी विभिन्न उपेक्षित वर्गों के लिए अलग–अलग निर्धारित कर लौटरी में भी विभिन्न उपेक्षित वर्गों के लिए अलग–अलग प्रतिनिधित्व निर्धारित कर दिया जाए।**

यहाँ यह विचारणीय भी है कि चूँकि, गैर सरकारी विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के लिए अलग–अलग शुल्क लिया जाता है अतः ऐसे बच्चे जो वास्तव में गरीब हों उन्हें उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस संदर्भ में राज्य के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय तथा झारखंड के नेतरहाट विद्यालय में एक अत्यन्त ही बेहतरीन व्यवस्था है। वहां बच्चों से फीस उनके माता–पिता के आय के आधार पर अलग से ली जाती है तथा सभी सुविधाएं यथा – पाठ्य–पुस्तक, पाठ्य सामाग्रियँ, ड्रेस, बिछावन, पोशाक, जुत्ते, भोजन, आवासन, क्षेत्र भ्रमण आदि विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इससे सभी बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा मिल जाती है तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बिना किसी शुल्क या कम शुल्क के आधार पर पढ़ाई करना सम्भव हो पाता है। **इस प्रकार की व्यवस्था को सभी विद्यालयों में लागू करने से 25 प्रतिशत के इस आरक्षण को अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार को इस संबंध में एक योजना अलग से लाने पर विचार करना चाहिए।**

यद्यपि यह प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण के लिए कई विद्यालयों में सकारात्मक पहल किया गया है, पर अभीतक सभी निजी विद्यालयों में इसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। करीब साढ़े तीन हजार बच्चे ही इसका लाभ ले पाए हैं। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को निजी विद्यालयों को ट्यूशन फीस भी इस प्रावधान के अन्तर्गत लिए गए बच्चों पर होने वाला व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी है। यह प्रतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा एक बच्चे पर औसत रूप से होने वाले व्यय के अनुरूप रखा जाना है। इस संबंध में नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रति बच्चे कुल वार्षिक आवर्ति व्यय की वही प्रतिपूर्ति करेगी। स्पष्टतः इस गणना में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रति बच्चा पूंजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को एक बहुत बड़ी राशि पूंजीगत व्यय में लगती है। अतः पूंजीगत व्यय के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं किया जाना व्यवहारिक जान पड़ता है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि 25 प्रतिशत बच्चों के शुल्क की जो क्षति होती है उसे ये विद्यालय अन्य बच्चों पर फीस बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। पर ऐसा करने से अन्य बच्चों पर अनावश्यक फीस का बोझ भी बढ़ेगा। **अतः यह आवश्यक जान पड़ता है कि प्रतिपूर्ति को अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। इसमें पूंजीगत एवं**

आवर्त्ती व्यय दोनों को सम्मिलित कर प्रति बच्चा प्रतिपूर्ति की राशि तय किये जाने से अधिक से अधिक विद्यालय इसमें उत्साहपूर्वक भाग ले सकेंगे।

प्रतिपूर्ति की राशि तय करने के लिए स्वतंत्र कमिटी को भार दिया जाना चाहिए तथा इसके निर्धारण एव वितरण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। अभीतक का अनुभव यह रहा है कि प्रतिपूर्ति की राशि एक वर्ष के बाद दी जा रही है। गैर सरकारी विद्यालयों में एक बड़ा ग्रुप अत्यन्त कम फीस पर कार्य करता है। अतः उनके लिए प्रतिपूर्ति राशि में विलम्ब होने से उन्हें अपने कार्यों के संचालन में कठिनाई हो सकती है।

ऐसा देखा गया है कि कई विद्यालयों में बच्चों से फीस लिया जा रहा है तथा उन्हें सरकार से प्रतिपूर्ति के बाद फीस की राशि वापस करने का आश्वासन दिया जाता है। इस प्रक्रिया पर अविलम्ब रोक लगाने की आवश्यकता है।

कक्षा 8 के बाद के शिक्षण की व्यवस्था

सम्प्रति विद्यालयों में कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग के बच्चों को कक्षा 8 तक ही निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था है। 8वीं कक्षा के बाद इन बच्चों का क्या होगा, इसपर स्थिति स्पष्ट नहीं है। कक्षा 8 अभी किसी श्रेणी के रोजगार के लिए Terminal कक्षा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में ये बच्चे पूरी तरह अधर में लटक जाऐंगे। **यह आवश्यक है कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कक्षा 12 तक प्रदान की जाए। यह उचित होगा कि राज्य सरकार इस निमित्त एक विशेष योजना तैयार करे।**

नए विद्यालय के लिए मान्यता की आवष्यकता

शिक्षा अधिकार अधिनियम की घारा 18 के तहत कोई गैर सरकारी विद्यालय बिना राज्य सरकार से मान्यता का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क की भी व्यवस्था है। वर्तमान में चल रहे सभी विद्यालयों को भी मान्यता प्राप्त कर लिया जाना है। यदि वे किसी शर्त्त का पालन करने में असमर्थ हैं तो तीन वर्षों के भीतर उन शर्त्तों को पूरा कर लिया जाना है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सभी विद्यालयों को लाना है। एक सर्वे के अनुसार केवल पटना शहर में 1574 विद्यालयों में 336 सरकारी विद्यालय (21प्रतिशत), 14 गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय (21प्रतिशत) तथा 1224 गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय (78 प्रतिशत) हैं।

School type	Number	%
Government	336	21%
Private aided	14	1%
Private unaided	1,224	78%
TOTAL	1,574	100%

Source: The Private Revolution in Bihar, Pub India Institute, 2012 Survey by India Institute and EG West Centre, New Castle University

इस सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि कुल नामांकित बच्चों में से केवल एक तिहाई सरकारी विद्यालयों मे पढ़ रहे हैं। शेष करीब दो तिहाई बच्चे गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में हैं जिनमें 32 प्रतिशत अत्यन्त कम फीस वाले (अधिकतम `300 प्रति माह से कम ), 17 प्रतिशत सामान्य फीस वाले (अधिकतम `300 प्रति माह से ` 500 तक )तथा 15 प्रतिशत उच्च फीस वाले (अधिकतम `500 प्रति माह से अधिक) विद्यालयों में पढ़ते हैं।

School type		Enrolment		% of total	% of private unaided	% of total
Government		91,087		33.90%		33.90%
Private aided		3,925		1.50%		1.50%
Private unaided		1,73,491		64.60%		
	Low cost		85,515		49.30%	31.80%
	Affordable		46,348		26.70%	17.30%
	Higher cost		41,628		24.00%	15.50%
TOTAL		2,68,503				100.00%

Source: The Private Revolution in Bihar, Pub India Institute, 2012 Survey by India Institute and EG West Centre, New Castle University

स्पष्टतः एक बड़ी संख्या में बच्चे गैर सरकारी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़तें हैं। इन विद्यालयों में सामान्यतः वह आधारभूत संरचना नहीं है जो शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रावधानित है। यदि आधारभूत संरचनाओं के अभाव के कारण या कम फीस देने के कारण शिक्षकों को पर्याप्त वेतन नहीं दिए जाने के कारण इन विद्यालयों को बन्द किया जाता है तो इससे उन गरीबों को जो सुविधा मिल रही है उससे भी वे बंचित हो जाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि इस मामले में एक सकारात्मक रूख अपनाया जाए।

Grades 1-5						
School type		Enrolment		% of total	% of Private unaided	% of total
Government		68,713		35.60%		35.60%
Private aided		2,453		1.30%		1.30%
Private unaided		1,21,701		63.10%		
	Low cost		63,704		52.30%	33.00%
	Affordable		32,964		27.10%	17.10%
	Higher cost		25,033		20.60%	13.00%
TOTAL		1,92,867				100.00%
Grades 6-8						
School type		Enrolment		% of total	% of private unaided	% of total
Government		22,374		29.60%		29.60%
Private aided		1,472		1.90%		1.90%
Private unaided		51,790		68.50%		
	Low cost		21,810		42.10%	28.80%
	Affordable		13,384		25.80%	17.70%
	Higher cost		16,595		32.00%	21.90%
TOTAL		75,636				100.00%

Source: The Private Revolution in Bihar, Pub India Institute, 2012 Survey by India Institute and EG West Centre, New Castle University

कुछ राज्यों में ऐसी पहल की गई है कि इन विद्यालयों का गुणात्मक प्रतिफलन के आधार पर श्रेणीकरण किया गया है न कि केवल आधारभूत संरचना के आधार पर। बेहतर तो यह होगा कि राज्य सरकार इन विद्यालयों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सहायता की एक कार्य–योजना तैयार करे ताकि ये विद्यालय भी शिक्षा अधिकार अधिनियम के शर्त्तों को पूरा कर सके।

विद्यालयों विशेषकर ग्रामीण विद्यालयों को निर्धारित मापदंड पूरा करने के लिए विशेष योजना

शिक्षाधिकार अधिनियम में बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के नये विद्यालयों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही निजी विद्यालयों को भी तीन वर्षों के भीतर शिक्षाधिकार अधिनियम के मापदंडों को पूरा करने को कहा गया है। उसे नहीं पूरा करने पर दंड की भी व्यवस्था है। चूँकि, कुछ मापदंडों को पूरा करने में काफी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है, जो छोटे निजी विद्यालय से पूरा करना संभव न हो। अतः प्रश्न यह है कि क्या इन छोटे निजी विद्यालयों को बंद करा दिया जाए या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची जाए। विशेषकर ग्रामीण एवं दूर–दराज के इलाकों में ये निजी विद्यालयों से अधिनियम के कठोर मापदण्डों को पूरा कराना काफी कठिनाई होगी। उन्हें बंद करा देना भी एक व्यवहारिक विकल्प नहीं होगा। अतः राज्य सरकार को इन निजी विद्यालयों को शिक्षाधिकार अधिनियम के मापदण्डों को पूरा करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।

जेंडर तथा बदहाल सामाजिक समूह

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं तत्संबंधी कार्य–योजना (1992) ने जेंडर तथा लड़कियों की शिक्षा के मुद्दे को शिक्षा की कार्य–योजना में प्रमुखता से स्थान दिलाये। इनके अनुसार महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज में उनके स्थान को महत्वपूर्ण बनाने तथा असमानता को बदलने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है कि '' शिक्षा को महिलाओं के स्थिति में बदलाव का एक प्रमुख कारक के रूप में उपयोग किया जाऐगा। ऐतिहासिक संग्रहित विसंगतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के पक्ष में एक सुकल्पित योजना का तैयार की जाऐगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सकारात्मक हस्तक्षेपी की भूमिका निभायेगा। ''

शिक्षाधिकार अधिनियम में जेंडर तथा लड़कियों की शिक्षा के संबंध में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कई स्थानों पर चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए किसी भी आधार पर (जेंडर सहित) उपेक्षित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को पक्षपात से मुक्ति, विद्यालय प्रबंधन समितियों ने महिलाओं का जोड़ा जाना, अच्छी गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था जिसमें समता से संबंधित जुड़े मुद्दे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पाठ्यचर्या का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन (यह लड़कियों, विशेषकर उपेक्षित वर्ग के लड़कियों से ज्यादा संबंधित होगा) आदि।

जेंडर एवं सामाजिक समूहो में नामांकन के बीच अंतर

श्रेणी	30 सितम्बर, 2007 के अनुसार			30 सितम्बर, 2011 के अनुसार		
	आबादी (6–13+)	नामांकन	प्रतिशत	आबादी (6–13+)	नामांकन	प्रतिशत
कुल :	20002625	17664222	88%	21809131	20852056	96%
लड़के :	10868194	9547060	88%	11552836	10600741	92%
लड़कियाँ :	9134431	8117162	89%	10256295	10251285	100%
अनुसूचित जाति :	3715652	2974564	80%	4343973	3911399	90%
सूचकांक	**स्थिति (2007)**	**वर्त्तमान स्थिति (2011)**		**अनुमानित स्थिति (2012)**		
लिंग अंतर :	**-1%**	**-8%**		**0%**		
सामाजिक अंतर (अनुसूचित जाति) :	**8%**	**6%**		**2%**		

विगत वर्षों के नामांकन एवं जेन्डर तथा सामाजिक अंतर के संबंध में सूचनाएं ऊपर दी गई है। उसे देखने से यह स्पष्ट होगा कि जेन्डर में विलोमित अंतर बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति के संबंध में सामाजिक अंतर 2007 में 8 प्रतिशत था, वह 2011 में घटकर 6 प्रतिशत हो गया है।

यद्यपि ये आंकड़े देखने से काफी सुखद लगते हैं पर यदि अनुसूचित जाति के भीतर विभिन्न जातियों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि कुछ अनुसूचित जातियों में शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति सम्बंधी आँकड़े

प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के पढ़ने वाले लड़के–लड़कियों की संख्या 1964–65 में क्रमशः 3,28,147 एवं 51,428 थी। 1977–78 में इनकी संख्या क्रमशः 5,07,622 तथा 1,26,936 हो गई। लड़कियों के नामांकन में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई।

1964–65 में अनुसूचित जनजाति के लड़के–लड़कियों का प्राथमिक स्तर पर नामांकन 2,69,924 एवं 83,147 था जो 1977–78 में क्रमशः 4,12,393 तथा 1,79,719 हो गया। इन 13 वर्षों में नामांकन वृद्धि क्रमशः 52.78 प्रतिशत तथा 116.15 प्रतिशत हुई। 2005–06 आते–आते अनुसूचित जातियों में लड़कियों की नामांकन संख्या 8,78,651 तथा लड़कों में 11,94,361 हो गई। अनुसूचित जनजातियों में यह संख्या क्रमशः 54,363 तथा 72,920 रही।

साक्षरता

अनुसूचित जाति की साक्षरता दर के संबंध में निम्न तालिका देखें:

अनुसूचित जाति साक्षरता प्रतिशत (1961 एवं 2001)

जाति		**1961**			**2001**	
	पु0	**म0**	**कुल**	**पु0**	**म0**	**कुल**
बौरी			5.8	52.00	29.19	40.89
बांतर				22.70	5.35	14.3
भोग्ता				22.62	6.64	15.11
हलालखोर				47.03	22.79	35.45
कुरारियर				26.23	8.25	17.47
लालबेगी				35.28	9.34	23.61
पान				59.52	36.01	48.62
मोची			4.1			
चमार			6.3			
चौपाल			7.5	27.13	7.19	17.55
दबगर			15.2	49.03	24.65	36.96
धोबी			10.0			
डोम			4.8	18.13	6.24	12.42
दुसाध			7.1			
घासी			9.1	38.90	16.18	28.49
मेहतर			10.5	40.63	19.76	30.56
कंजर			9.0	20.70	8.42	14.94
मुसहर			2.1	10.52	2.97	6.88
नट			5.4	22.97	10.17	16.79
पासी			10.0			
राजवार			4.9	26.82	7.53	17.44
तुरी			4.7	26.82	7.53	17.44
भुंईया			1.3	15.26	5.00	10.29
अनु0जाति			6.0	28.5	15.6	22.05
महादलित''				15.63	5.03	10.54

(बिहार में शिक्षा में प्रगति, महादलित आयोग रिपोर्ट, 2007; जनगणना 2001)

''महादलित' से तात्पर्य है अनुसूचित जाति की जातियाँ धोबी, मोची, चमार, दुसाध एवं पासी को छोड़कर। बाद में दुसाध को छोड़कर अन्य सभी अनुसूचित जातियों को महादलित में सम्मिलित कर लिया गया है।

1931 में बिहार में साक्षरता दर 4.3 प्रतिशत थी (पुरुषों की 7.9 प्रतिशत तथा महिलाओं की 0.7 प्रतिशत)। 1971 में यह 19.94 प्रतिशत हो पाई। पुरुषों की 30.64 प्रतिशत और स्त्रियों की 8.72 प्रतिशत। तुलना करें तो 1971 में भारत की साक्षरता दर 29.46 प्रतिशत थी। इसमें पुरुषों की 39.45 प्रतिशत तथा स्त्रियों की 18.72 प्रतिशत थी।

1961 में अनुसूचित जाति की साक्षरता 6 प्रतिशत तथा जनजाति की 9.2 प्रतिशत थी। सबसे अधिक साक्षरता दबगर जाति में थी जो 15.2 प्रतिशत थी। सबसे कम भुईया में थी जो लगभग 1.3 प्रतिशत थी। एक दशक के बाद यह 1971 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत ही हो पाई।

1951 से 1971 के बीच देश में साक्षरता के प्रतिशत में 12.7 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि उस अवधि में बिहार में मात्र 7 प्रतिशत हुई। 1971 में केरल राज्य की साक्षरता 60.42 प्रतिशत थी (पुरुषों की 66.62 प्रतिशत तथा महिलाओं की 54.3 प्रतिशत)। 2001 में बिहार में केरल की 1971 वाली साक्षरता दर भी नहीं प्राप्त हो सकी है। 2001 में अनुसूचित जाति साक्षरता दर 22.05 प्रतिशत तथा महादलितों में 10.54 प्रतिशत तक ही पहुँच पाई।

यद्यपि 2011 के जनसंख्या के विभिन्न अनुसूचित जाति के आंकड़ें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, पर उपर्युक्त आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट होगा कि कुछ अनुसूचित जातियाँ यथा मुशहर, भुंईया, आदि में पिछले 40 वर्षों में साक्षरता में बहुत कम वृद्धि हुई है तथा जिस गति से इनमें साक्षरता में वृद्धि हो रही है, उसके अनुसार अगले कई सदियों के पश्चात् ही ये जातियाँ पूरी तरह साक्षर हो सकेगी। स्पष्टतः इन जातियों के मामले में शिक्षाधिकार के संदर्भ में एक विशेष रणनीति की आवश्यकता है।

वैसे भी शिक्षा और साक्षरता में काफी घनिष्ठ संबंध है। जैसे–जैसे किसी समुदाय में साक्षरता बढ़ती है, वैसे–वैसे उस समुदाय में शिक्षा के स्तर में भी प्रगति होती जाती है। जिन समुदायों में साक्षरता की दर कम रहती है, वहाँ समुदाय बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित तो नहीं ही करती है वरन् उन्हें शिक्षेतर कार्यों में लगाकर विद्यालय न जाने का वातावरण तैयार करती है। जैसे–जैसे समुदाय के साक्षरता में वृद्धि होती जाती है, वैसे–वैसे समुदाय शिक्षा के महत्व को समझता है तथा बच्चों को विद्यालय भेजने में प्रेरित करने के लिए उद्यत होने लगती है। माता–पिता के साक्षर होने का एक लाभ यह भी होता है कि विद्यालय में यदि बच्चे को कोई कठिनाई होती है तो माता–पिता उसे सकारात्मक रूप से हल करने का प्रयास करते हैं। **अतः आवश्यक है कि जिन समुदायों में साक्षरता की दर अत्यंत कम है, उनके माता–पिता के बीच साक्षरता का वृहत एवं समर्पित अभियान चलाया जाय।**

सामाजिक अथवा साक्षरता के दृष्टिकोण से पिछड़े समुदायों में प्रथम पीढ़ी के पढ़ाक की संख्या को देखते हुए यह भी **आवश्यक है कि उन समुदायों में माता–पिता या समुदाय के अन्य व्यक्तियों की ओर से बच्चों को शिक्षा में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने में सहयोग न दिये जाने की स्थिति होने के कारण छीजन को रोकने के लिए बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए इन समुदायों में ऐसे उन्हीं समुदाय के पढ़े–लिखे व्यक्तियों का चयन किया जा सकता है, जो विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक कठिनाईयों को दूर करने में उन बच्चों को मदद कर सके।**

आवासीय विद्यालय की आवश्यकता

बिहार का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इस संदर्भ में विशेषकर दियारा क्षेत्र, कोशी क्षेत्र एवं अन्य भयानक नदियों का कटाव क्षेत्र की आबादी के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित की जानी चाहिए।

घुमंतु परिवार के बच्चे, बाल श्रम करते बच्चे, घरेलू कामकाज में लगे बच्चे, सेक्स वर्कर के बच्चे, भीख माँगते बच्चे के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित की जानी चाहिए।

दलित बच्चों का बहिष्करण

शिक्षाधिकार की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि दलित वर्ग के बच्चों के साथ किये जा रहे बहिष्करण को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। बहिष्करण के कुछ उदाहरण निम्नवत् हैं (Report of the committee on Implementation of Right to Educationto Free and Compulsory Education Act 2009, and resultant revamp of Sarva Shiksha Abhiyan, Ministry of Human Resources Development, Government of India **):—**

1. कक्षा में दलित बच्चों को अलग, पीछे या कक्षा के बाहर बैठाया जाना
2. दलित बच्चों को दंड देने में अवांछित कठोरता बरता जाना, यथा — कक्षा में देर से आने पर डांटने में, बच्चों की आपसी लड़ाई में, दलित बच्चों को गैर दलित बच्चों के द्वारा गाली दिए जाने के मामले में,
3. दलित बच्चों को कक्षा में शिंक्षकों द्वारा अपेक्षित समय एवं ध्यान नहीं दिया जाना, उनके गृह कार्य या वर्ग कार्य को जांच नहीं किया जाना, उनके द्वारा किये गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना, उनके द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं दिए जाने पर डांटना,
4. विद्यालय के उत्सवों में दलित बच्चों को भाग न लेने देना, यथा — प्रातःकालीन सभा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि के समारोह में भाग न लेने देना, दलित बच्चों के बारे में अनादरपूर्ण या अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, विशेषकर उनके साफ सफाई के बारे में या शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता न मिलने पर
5. दलित बच्चों को विद्यालय की सुविधाएं, यथा — जलापूर्त्ति के नल का उपयोग न करने देना या उनके लिए अलग जल या नल की व्यवस्था न करना
6. विद्यालय के छोटे कार्य, यथा — विद्यालय परिसर या शौचालय की सफाई के लिए दलित बच्चों को आदेशित करना

दलित बच्चों का दोस्तों के द्वारा बहिष्करण

1. दलित बच्चों को उनके जातिगत नाम से पुकारना
2. खेल या सांस्कृतिक कार्यक्रम में दलित बच्चों को साथ न लेना
3. कक्षा में दलित बच्चों के साथ न बैठना

व्यवस्था द्वारा दलित बच्चों का बहिष्करण

1. दलित बच्चों के प्रोत्साहन योजनाओं एवं छात्रवृति को ठीक ढंग से लागू न किया जाना

2. दलित नायकों, यथा – अम्बेदकर को पाठ्यचर्या में समावेश न करना
3. शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिक्षक शिक्षण में शिक्षकों का पर्याप्त संवेदनीकरण न करना
4. शिक्षकों में दलित का कम प्रतिशत होना

शिक्षाधिकार की अधिप्राप्ति के लिए यह आवश्यक है **कि प्रत्येक विद्यालय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर शोषण के मामलों के निष्पादन के लिए एक विशेष समिति बनायी जाय तथा उन्हें क्रियाशील बनाया जाय। यह भी आवश्यक है कि इस विशेष वर्ग के लिए शिक्षकों को अधिक संवेदनशील बनाया जाय। पाठ्यचर्या में उनकी संस्कृति, रहन सहन, कार्य कलाप आदि से संबंधित विषयों का अधिक समावेश किया जाय।**

इसी प्रकार जेन्डर के संबंध में भी शिक्षकों को अधिक संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या की जेन्डर ऑडिट कराकर उसमें स्त्रियों से संबंधित विषयों को अधिक प्रमुख स्थान दिलाने की आवश्यकता है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

लड़कियों विशेषकर दलित एवं अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। इनकी स्थिति के संबंध में मधुबनी जिले के विद्यालयों की स्थिति से एक झलक ली जा सकती है। मधुबनी जिले में 20 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। एक और खोला जाना है।

राज्य परियोजना द्वारा निर्धारित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पदस्थापित/विभिन्न स्वीकृत पद की विवरणी

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद/KGBV	कुल स्वीकृत पद	कुल कार्यरत	जिला रिक्ति (20 KGBV)
1.	वार्डेन	1	20	14	6 **(23%)**
2.	पूर्ण कालिक शिक्षिका	3	60	36	24 **(40%)**
3.	अंश कालिक शिक्षिका	3	60	23	37 **(62%)**
4.	रात्रि प्रहरी	1	20	17	3 **(15%)**
7.	लेखापाल	1	20	12	8 **(40%)**
8.	आदेशपाल	1	20	16	04 **(20%)**
6.	मुख्य रसोईया	1	20	16	04 **(20%)**
5.	सहायक रसोईया	2	40	31	09 **(22%)**
कुल		13	**260**	165	**95 (37%)**

स्पष्टतः करीब 37ः प्रतिशत रिक्तियाँ विद्यालय के कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इन्हें भरे जाने की जरूरत है।

इन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य अनामांकित तथा विद्यालय से बाहर के बच्चियों को विद्यालय में लाकर उन्हें पढ़ाना है। पर अब इनमें नामांकन मूल्यांकन के आधार पर सीधे 6ठी एवं 7वीं कक्षा में हो रहा है। यह इन विद्यालयों की स्थापना की मूल भावना के विपरीत है। नामांकन प्रक्रिया पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है।

इन विद्यालयों मे विशेष प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण अवयव है। पर विशेष प्रशिक्षण के कार्यक्रम को अभी तक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसे जोड़ने की जरूरत है।

निःशक्त बच्चे : बाधामुक्त शिक्षा

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में यथापरिभाषित निःशक्तता के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अधिनियम की धारा 3(2) के परन्तुक में निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में यथा परिभाषित निःशक्तता के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किया जाना है।

पूरे देश में 2005 में विकलांग बच्चों में 34.19 प्रतिशत ड्राप आडट हो जाते थे, 2009 में 34.12 प्रतिशत ड्राप आडट हो गया है। मानसिक विकलांगता के बच्चों में ड्राप आउट दर बढ़कर 48 प्रतिशत हो जाता है। वाक् विकलांगता में ड्राप आउट दर 37 प्रतिशत है।

निःशक्त बच्चे : आवश्यक उपकरण की प्रदायगी

निःशक्त बच्चों के लिए बाधामुक्त शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण जैसे हियरिंग एड, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, व्हील चेयर आदि प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

निःशक्त बच्चे : बाधामुक्त पहुँच

अब यह देखा जाना है कि क्या पडोस के विद्यालय की स्थापना, निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना क्या पूर्णतया सुनिश्चित हो पाया है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में टोला आधारित योजना निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि टोला को केन्द्र बिन्दु मानकर यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक टोले के बच्चों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर विद्यालय की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए एक सर्वेक्षण अविलम्ब कराने की आवश्यकता है।

कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि निर्धारित दूरी के भीतर विद्यालय की व्यवस्था तो हो गई है पर बरसात के मौसम में नदी/नाले में पानी भर जाने से विद्यालय से सम्पर्क टूट जाता है। ऐसी अवस्था में संबंधित नदी/नाले पर अविलम्ब पुल/पुलिया निर्माण की अवश्यकता जान पड़ती है। यदि नदी/नाले पर पुल/पुलिया निर्माण की व्यवस्था न हो सके तो संबंधित नदी/नाले में नाव के माध्यम से बच्चों को नदी के उस पार ले जाने की व्यवस्था आवश्यक जान पड़ता है।

पड़ोस विद्यालय : (एक किलोमीटर पर ही प्रारंभिक विद्यालय)

बिहार में जनसंख्या का घनत्व देश में सर्वाधिक है। इस संदर्भ में यदि गणना किया जाए तो पाया जाऐगा कि एक किलोमीटर के वृत के अधीन बिहार में औसत रूप से 3292 व्यक्ति होंगे, जिनमें करीब 600 बच्चे 6–14 आयुवर्ग के भीतर होंगे। इसी प्रकार 3 किलोमीटर वृत के अधीन बिहार में औसत रूप से करीब 30 हजार व्यक्ति निवास करते हैं, जिनमें करीब 5300 बच्चे 6–14 आयुवर्ग के हों। स्पष्टतः बिहार की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक किलोमीटर के वृत के

अधीन एक प्रारम्भिक विद्यालय की स्थापना अनिवार्य जान पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया जाना उचित जान पड़ता है कि बिहार में अब सभी प्राथमिक विद्यालय को प्रारम्भिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया जाए तथा भविष्य में सर्वे के आधार पर प्रारंम्भिक विद्यालय के स्तर पर ही विद्यालय खोले जाएँ।

निःशक्त बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में टªाई साईकिल देने की व्यवस्था है। पर यह अनुभव रहा है कि टªाई साईकिल के वितरण में कई जिलों में वर्षों से टªाई साईकिल खरीद कर रखा गया है, पर उसका वितरण नहीं किया गया है।

निःशक्त बच्चे : प्रमाण–पत्र

ट्राई साईकिल मिलने में एक बड़ी कठिनाई का कारण निःशक्त बच्चों को निःशक्तता का प्रमाण–पत्र नहीं मिलना है। निःशक्तता का प्रमाण–पत्र मिलने की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है, जिसको सरलीकृत करने की आवश्कता है। बेहतर होगा कि एक अभियान चलाकर सभी निःशक्त बच्चों को एक बार ही प्रमाण–पत्र दे दिया जाए।

निःशक्त बच्चे : स्वास्थ्य जाँच

निःशक्त बच्चों में एक बड़ा वर्ग दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बच्चों का है। इन बच्चों के लिए एक अल्पावधि कार्य–योजना तथा एक दूरगामी कार्य–योजना बनाने की जरूरत है। इन सभी बच्चों को विशेष चिकित्सीय जाँच कराकर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि क्या इन्हें चिकित्सा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है या नहीं। दृष्टि की बहुत अधिक कमी, चश्मा के उपयोग से या शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ऐसे मामलों में शिक्षाधिकार के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सभी बच्चों के आँखों की नियमित जाँच सुनिश्चित कराई जाए तथा उन्हें आवश्यकतानुसार चश्मा भी उपलब्ध कराया जाए या जहाँ शल्य चिकित्सा की आवश्यकता हो, वहाँ शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

हेल्थ कार्ड

अभी राज्य सरकार ने सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने की महत्वकांक्षी योजना (नई पीढ़ी स्वास्थ्य जाँच योजना) शुरू की है। पर यह योजना स्वास्थ्य जाँच के नाम पर महज एक खानापुरी है। एक चिकित्सक विद्यालय में जाता है तथा एक या दो घंटे के भीतर ही जाँच कर उसका प्रतिवेदन तैयार कर देता है। इतने कम समय में बच्चों के आँख, श्रवण या स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं की जाँच अत्यंत ही दुष्कर कार्य है।

इस योजना में फौलोअप की व्यवस्था भी अत्यंत ही कमजोर है। यदि किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार का दोष पता चलता है तो उसके ईलाज के लिए सम्यक व्यवस्था कराने की आवश्यकता है।

दृष्टि जाँच उपचार

दूरगामी कार्य–योजना के तहत जन्म के समय ही बच्चे के दृष्टि प्रणाली की जाँच करा लेने की आवश्यकता है ताकि यदि उसमें जन्मजात मोतियाबिन्द (Congenital cataract) के लक्षण हो तो उसे अविलम्ब शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जा सके क्योंकि यदि यह दोष 5 वर्षों तक चलता

रहता है तो बाद में शल्य चिकित्सा कराने पर भी दृष्टि दोष दूर नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क में दृष्टि से संबंधित न्यूरॉन का संबंधन जन्म के 5 वर्षों के भीतर ही पूर्ण हो जाता है। अतः यदि उस अवधि में आँख में मोतियाबिन्द रहा तो न्यूरॉन का संबंधन नहीं हो पाता है।

श्रवण जाँच उपचार

यदि जन्म के समय श्रवण प्रणाली में कोई दोष रहा तो उसे अविलम्ब दूर करने की आवश्कता होती है नही।तो मस्तिष्क में श्रवण से संबंधित न्यूरॉन का संबंधन समुचित रूप से प्रारंभ नहीं हो पाता है तथा बाद में यदि उस दोष को दूर भी कर दिया जाए तो उसका लाभ बच्चे को नहीं हो पाता है। अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चे के जन्म के समय श्रवण प्रणाली में दोष की जाँच करा ली जाए तथा यदि आवश्यक हो तो कॉकुलर इम्प्लांट शीघ्र लगा दिया जाए। चूँकि, कॉकुलर इम्प्लांट मंहगा संयंत्र है, अतः इसे राज्य के खर्चे पर सभी बच्चों को जाँच के पश्चात् लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षाधिकार के दृष्टिकोण से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा।

विद्यालयों में स्वास्थ्य जाँच के समय श्रवण प्रणाली की जाँच कर जिन बच्चों को आवश्यक हो, उन्हें श्रवण यंत्र निशुल्क उपलब्ध कराया जाए ताकि वे निर्बाध ढ़ंग से अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई ब्रेल लिपि में होती है। अतः यह आवश्यक है कि सभी पाठ्य–पुस्तकों एवं पाठ्य सामग्रियों का ब्रेल रूपांतरण किया जाए। इस क्षेत्र में काफी कम काम हुआ है, जिसपर अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।

कई ऐसे प्रयोग हुए हैं जिनमें कम्प्यूटर के माध्यम से दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है तथा इन्हें विद्यालयों में अपनाने की आवश्यकता है।

मंदबुद्धि

मंदबुद्धि (Spastic or Mentaly retarded)/प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral palsy) वाले बच्चों की आवश्यकताएँ भिन्न–भिन्न होती हैं। इन्हें शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य की भी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। जिन घरों में ऐसे बच्चे रहते हैं, उनके माता–पिता के इस प्रकार के बच्चों पर अधिक समय भी देना पड़ता है। जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार मजदूरी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के बच्चों के शिक्षा भी अलग किस्म की होती है, साथ ही साथ यह काफी खर्चीली होती है। गरीब माता–पिता को ऐसे बच्चों की शिक्षा का भार वहन करना संभव नहीं हो पाता है।

रैम्प

सभी विद्यालयों में रैम्प बनाना समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही आवश्यक कार्य है। यद्यपि राज्य सरकार ने रैम्प बनाने के लिए निदेश जारी किये हैं, पर सामान्य अनुभव यह है कि रैम्प के नाम पर मात्र खानापूरी ही होती है। भवनों का निर्माण इस प्रकार नहीं किया जाता ताकि बच्चे निर्बाध रूप से सभी स्थान पर आसानी से जा सके। भवन के निर्माण को समावेशी बनाना शिक्षाधिकार की पूर्व शर्त है। अभी तक कहीं भी शौचालय को समावेशी नहीं बनाया गया है।

शौचालय को समावेशी बनाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए डिजाईन में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा शौचालय में रैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए। निःशक्त बच्चों के लिए पेयजल वितरण के स्थान पर भी रैम्प लगाने की आवश्यकता होगी।

मूक एवं वधिर बच्चे : सम्प्रेषणीय क्षमता का विकास

मूक एवं वधिर बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा (Sign Language) के माध्यम से पढ़ाने की परम्परा है। पर इससे वे बच्चे उन्हीं लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, जिन्हें उस सांकेतिक भाषाओं का ज्ञान है। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सांकेतिक भाषा को भी विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं छात्रों को परिचित कराया जाए ताकि वे मूक एवं वधिर बच्चों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकें। साथ ही साथ मूक एवं वधिर बच्चों के माता–पिता को सांकेतिक भाषा का ज्ञान कराना चाहिए ताकि उन बच्चों को विद्यालय तथा घर में संवाद स्थापित करने में कोई कठिनाई न हो।

इस दृष्टिकोण से यह भी आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में सांकेतिक भाषा की पढ़ाई भी सम्मिलित की जाए।

प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक शिक्षक को तत्काल सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे मूक एवं वधिर बच्चों की आम आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

पूर्व विद्यालयी शिक्षा

विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों को भाषायी सम्पन्न वातावरण में रखने से उनका भाषायी विकास अच्छी तरह होता है। जो बच्चें पहली बार 6 वर्ष की आयु में विद्यालय जाते हैं, वे इस मामले में अन्य बच्चों के मामलों में पिछड़ी हुई स्थिति में रहते हैं।

शिक्षा अधिकार अधिनियम 6–14 वर्ष के आयु के बच्चों पर ही बनाया गया है। 6 से कम वर्ष की आयु के लिए इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। बालपूर्व शिक्षा को भारतीय संविधान की धारा 45 के अधीन नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है। बालपूर्व शिक्षा की महता को देखते हुए यह आवश्यक है कि बालपूर्व शिक्षा को संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों से हटाकर शिक्षा के मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया जाए।

तत्काल यह जरूरी जान पड़ता है कि विभिन्न राज्यों द्वारा बालपूर्व शिक्षा के लिए उसी प्रकार का अधिनियम बनाया जाए जिस प्रकार 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का अधिनियम बनाया गया है।

बालपूर्व शिक्षा के दो मुख्य अवयव है :– 3–6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए संस्थागत बालपूर्व शिक्षा तथा 0–3 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए परिवार केन्द्रित बालपूर्व शिक्षा।

संस्थागत बालपूर्व शिक्षा के लिए सम्प्रति सबसे बड़ी योजना समेकित बाल विकास योजना है जिसके अन्तर्गत बिहार में करीब 90 हजार आँगनबाड़ी केन्द्र खोले गए हैं। इन आँगनबाड़ी केन्द्रों में करीब 72 लाख 0–6 उम्र के बच्चे नामांकित हैं। बालपूर्व देखभाल एवं शिक्षण के सार्वभौमीकरण के लिए **यह आवश्यक है कि राज्य के सभी बच्चों का नामांकन आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कराया जाए। बिहार में सम्प्रति 0–6 उम्र के करीब 1.65 करोड़ बच्चे हैं। अतः करीब 93 लाख बच्चे आँगनबाड़ी की सुविधाओं से बंचित हैं। इन सभी बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ने की आवश्यकता है।**

यह उल्लेखनीय है कि इन आँगनबाड़ी केन्द्रों में मुख्य ध्यान पूरक पोषण पर ही रहता है। बालपूर्व शिक्षण इसमें पिछले पायदान पर ही रखा जाता है। आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का प्रमुख समय पूरक पोषण के प्रबंधन पर ही लग जाता है। **यह आवश्यक है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर एक व्यक्ति केवल शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करे। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक आँगनबाड़ी केन्द्र में औसतन 40 बच्चें रहते हैं।** एक आँगनबाड़ी सेविका के लिए 3–6 उम्र के 40 बच्चों के शिक्षण एवं अतिरिक्त पोषण दोनों की जिम्मेदारी सम्भालना कठिन हो जाता है। वैसे भी आँगनबाड़ी केन्द्र में सरकार ने गरम बना भोजन बनाने का दायित्व दिया है और पूरा तंत्र भोजन की तैयारी, भंडारण तथा वितरण में ही लगा रहता है। शिक्षण का कार्य न के बराबर ही होता है। **अतः अतिरिक्त सेविका के रहने से शिक्षण का कार्य बेहतर ढंग से हो सकता है।**

सम्प्रति समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति 800 की जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। इसमें दूरी का कोई ख्याल नहीं रहता है। शिक्षा अधिकार की दृष्टिकोण से अगर देखें तो बालपूर्व शिक्षण केन्द्र बच्चों के एकदम पड़ोस में रहना बेहतर है।

इस दृष्टिकोण से यह बेहतर होगा कि शिक्षा अधिकार की भांति बाल शिक्षण केन्द्र को प्रत्येक बसावट के 500 मीटर के अन्दर खोलने की व्यवस्था की जाए।

आँगनवाड़ी : एक स्थाई स्वरूप

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि सम्प्रति आँगनबाड़ी केन्द्रों को एक परियोजना केन्द्रों की तरह संचालित किया जाता है जिसमें 0–3 आयु वर्ग के 40 बच्चे, 3–6 आयु वर्ग के 40 बच्चे, 8 धातृ मातायें, 8 गर्भवती मातायें तथा 3 किशोरियों को सुविधाएँ पहुँचाने का लक्ष्य रखा जाता है। अब यह आवश्यक हो गया है कि इस व्यवस्था को एक स्थायी स्वरूप देते हुए एक संस्थागत रूप दिया जाए। जिसप्रकार विद्यालयों में सभी पड़ोस के बच्चों के नामांकन की व्यवस्था रखी जाती है उसमें ऊपरी उम्र सीमा नहीं रखी जाती उसीप्रकार आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भी नामांकन की कोई सीमा नहीं रखी जाए तथा उसे आँगनबाड़ी विद्यालय के रूप में प्रचारित करते हुए पड़ोस के सभी बच्चों के नामांकन की व्यवस्था रखी जाए तथा बच्चों की संख्या के अनुरूप आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के अतिरिक्त बल स्वीकृत किये जाऐं जैसा विद्यालयों में किया जाता है।

परिवार केन्द्रित बाल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था

0–3 वर्ष के लिए सम्प्रति समेकित बाल विकास के लिए केवल टेक होम राशन की व्यवस्था है जो माताओं को स्वीकृत किया जाता है। इसमें शिक्षण का कोई बिन्दु नहीं होता। शिक्षण की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इस उम्र के बच्चों के लिए माता–पिता को बच्चों के शिंक्षण की तैयारी के लिए प्रशिक्षित किया जाए। पहले संयुक्त परिवार में लोग संयुक्त रूप से रहते थे तो बड़े वुजुर्ग बच्चों के लालन–पालन एवं शिक्षण के लिए माता–पिता को सहयोग करते रहते थे। परन्तु **संयुक्त परिवार के टूटने से अब माता–पिता को लालन–पालन एवं बाल शिक्षण के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण का अवसर नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि माता–पिता के प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाए।**

आँगनवाड़ी सेविका : एक स्थाई पद

आँगनबाड़ी सेविकाओं की सेवा शर्त्ते सोचनीय है। सेविकाओं को केवल 3000 रूपये तथा सहायिकाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है। यह उनके उत्तरदायित्व के अनुरूप अत्यन्त ही कम है। **यह आवश्यक है कि आँगनबाड़ी सेविकाओं को अब पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता के रूप में पहचानित किया जाए तथा उन्हें पर्याप्त वेतन देने की व्यवस्था की जाए।**

बाल पूर्व शिक्षण–प्रशिक्षण

आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के लिए प्रशिक्षण तंत्र अत्यन्त ही कमजोर है। विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का तंत्र काफी विकसित हो गया है उसी प्रकार बालपूर्व शिक्षण के लिए भी शिंक्षक प्रशिक्षण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य स्तर पर बालपूर्व शिक्षा के अलग राज्य साधन केन्द्र, जिला स्तर पर जिला साधन केन्द्र, प्रखंड स्तर पर प्रखंड साधन केन्द्र बनाया जाना अधिक समीचीन जान पड़ता है।

पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन

शिक्षा व्यक्तिपरक है, वस्तुपरक नहीं। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अधिगम सामग्री व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप सृजित करने की जरूरत है न कि व्यक्ति को शिक्षा के किसी मॉड्ल के अनुरूप।

शिक्षा के अधिकार के सुनिश्चित में भौतिक तथा गैर भौतिक घटक दोनों ही महत्वपूर्ण होते है। भौतिक घटक से अभिप्रेत है विद्यालय की आधारभूत संरचना, सामग्रियाँ, राशि की उपलब्धता आदि, जबकि गैर भौतिक से अभिप्रेत है विद्यालय की पाठ्यचर्चा, सीखने के क्रियाकलाप, पारिवारिक एवं सामाजिक माहौल, सांस्कृतिक परम्पराएँ आदि। अतः सीखने वाले तथा सिखाने वाले में सीखने–सिखाने के प्रति प्रवृति विकसित करना शिक्षा अधिकार की मूलभूत मांग है।

शिक्षाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकार को पाठ्यचर्या के संबंध में निम्न आठ तत्वों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन पद्धति निर्धारित करने का दायित्व दिया गया है :–

1. संवैधानिक मूल्यों के साथ संगतता
2. बच्चे का सर्वांगीण विकास
3. बच्चे के ज्ञान, क्षमता एवं प्रतिभा का विकास
4. शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास
5. गतिविधि, खोज एवं शोध के आधार पर शिक्षा
6. यथा सम्भव स्थानीय भाषा में शिक्षा
7. बच्चों को भय, सदमा या चिन्ता से मुक्त करना तथा उन्हें अपने विचार स्वतंत्ररूप से अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना
8. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करना

यद्यपि ये चिन्तायें शिक्षा से जुड़ी सभी प्रतिवेदनों में कई दशकों से चली आ रही हैं पर इनको व्यवहार में अभीतक नहीं लाया जा सका है। यह आवश्यक है कि पाठ्यचर्या को बच्चों के स्थानीय परिवेश के अधिक करीब लाया जाए। **इस संबंध में यह विचारणीय है कि लोक नृत्य, लोकगीत, लोक खेल आदि के साथ विद्यालय को जोड़ा जाना बच्चों के विद्यालय में ठहराव एवं उपलब्धि का अच्छा माध्यम हो सकता है।**

बाधामुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया

इस प्रसंग में यह भी विचारनीय है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी बच्चे को किसी कक्षा में न रोकने का सिद्धांत अपनाया गया है। साथ ही साथ यह सिद्धांत भी अपनाया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह एक स्वागतयोग्य कदम है जिसे कठोरता से लागू किए जाने की आवश्यकता है। पर साथ ही यह भी देखने की जरूरत है कि विद्यालय में बच्चे किन कारणों से असफल हो रहे हैं। **बहुत से बच्चे अपनी अभिरूचि या शिक्षण गति के अनुरूप शिक्षण नहीं होने के कारण विद्यालय में अधिक सफल नहीं होते। बहुत बच्चे सीखने की कठिनाइयों, यथा – डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया औटिज्म आदि से पीड़ित रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों के लिए अलग से सहायता प्रदान की जाए ताकि वे भी अन्य बच्चों की तरह विद्यालय में सफलता की प्राप्ति कर सके। यदि ऐसा**

नहीं किया जाता है तो वे बच्चे कक्षा में तो प्रगति करते जाएंगे पर सीखने में अपेक्षित प्रगति न होने से निराशा या अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं। वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक है कि विद्यालयों में सीखने की बाधाओं को ध्यान में रखकर बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों की सीखने की विशिष्ट शैली होती है। प्रत्येक बच्चे की सीखने की अलग–अगल शैली होती है। विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ हावर्ड गार्डनर के अनुसार लोग बहुल मेधा के जरिए सीखते हैं। **ये बहुल मेधा हैं– शाब्दिक, तार्किक, शारीरिक, चित्रात्मक, लयात्मक आरागात्मक, सामाजिक, प्राकृतिक, चिन्तनात्मक (अंतर्मुखी) ये मेधाएं अलग–अलग बच्चों में अलग–अलग परिणाम में मौजूद रहती हैं। इसलिए हर बच्चे के सीखने की शैली अनूठी होती है। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्चा शाब्दिक और तार्किक मेधा की जरूरतों के अनुकूल ही सीमित होती है। अतः आवश्यकता है कि शेष अन्य मेधा के आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक विकसित किए जाए तथा पाठ्यचर्चा का सम्पादन सुनिश्चित किया जाए तभी शिक्षा अधिकार के मूलभूत लक्ष्य की सम्प्राप्ति सुनिश्चित हो पाएगी।**

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान शिक्षण पद्धति में भाषायी एव गणीतीय सीखने की शैली को ही अधिक प्रधानता दी जाती है। सीखने की अन्य शैली, यथा – **रागात्मक, चित्रात्मक, शारीरिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं अन्तर्मुखी शैलियों को स्थान नहीं दिया जाता। यह देखा गया है कि गरीब परिवार के बच्चों में रागात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक सीखने की शैलियों में अधिक पटु होते हैं। पर विद्यालयी शिक्षा में इन सीखने की शैलियों को उचित स्थान नहीं दिए जाने के कारण इनसे जुड़े हुऐ बच्चे विद्यालयी शिक्षा में अधिक उपलब्धि नहीं कर पाते। यदि विद्यालयी पाठ्यचर्या में सभीप्रकार के सीखने की शैलियों से जुड़ी गतिविधियों को स्थान दिलाया जाए तो शिक्षा अधिकार के उद्देश्यों की प्राप्ति काफी सहज हो सके। इसी प्रकार की क्रिया मूल्यांकन में भी करने की आवश्यकता है।**

सम्प्रति एन0सी0ईआर0टी0 द्वारा कक्षा 1 से 8 तक तैयार किया गया पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें चलाई जा रही हैं। बिहार में भी एन0सी0ईआर0टी0 द्वारा तैयार किया गया पाठ्य–पुस्तक अंगीकृत किया गया है। नेशनल करीकुलर फ्रेमवर्क 2005 के अधीन सृजनवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए **राज्य स्तर पर स्वतंत्र पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय पारिवेशीय आवश्यकताओं को ध्यान रखा जा सके।**

मातृ भाषा में पढ़ाई

यद्यपि शिक्षा से संबंधित सभी प्रतिवेदनों में मातृभाषा में करने की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है पर इसे शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी उन्हें पहचानित किया गया है पर वास्तव में मातृ भाषा विद्यालय के अधीन शैक्षणिक अधिनियमों से पूरीतरह बाहर हो गया है। **प्रत्येक गांव एक बहुभाषायी वातावरण में रहता है। सामान्यतः विभिन्न जाति/वर्ग के लोग अलग–अलग भाषायी वातावरण में रहते हैं। सीखने में सफलता के दृष्टिकोण से मातृभाषा में पढ़ाई एक पूर्व शर्त्त है। गरीब वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के बच्चों के विद्यालय से उदाशीनता का एक कारण उनकी बोली/भाषा का विद्यालय में स्थान न होना भी है। इस संबंध में एक प्रयोग यह हो सकता है कि एक स्थानीय शब्दकोष का निर्माण कराया जाए जिसमें**

स्थानीय भाषा एवं मानक भाषा के बीच रूपान्तरण की सुविधा हो तथा स्थानीय भाषा की विद्यालय द्वारा मान्यता दी जाए।

सृजनवादी शिक्षण अधिगम में शिक्षक प्रशिक्षण

बहुमेधा आधारित शिक्षण पद्धति सृजनवादी शिक्षण के मूल में है। इसके आधार पर ही समाज में सृजनवादिता विकसित की जा सकती है। यह आवश्यक है कि सृजनवादी शिक्षण पद्धतियों का समावेश पाठ्यचर्या में किया जाए। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इन सृजनवादी अधिगमों में शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए।

मूल्यांकन प्रणाली

राज्य सरकार ने सतत एवं समेकित मूल्यांकन प्रणाली को विद्यालयों में अपनाया है। यह एक अभिनव प्रयोग है। इसके लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों को बड़े पैमाने पर तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए वृहत् प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता है। एस सी इ आर टी को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।

शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण

शिक्षा अधिकार के लिए शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 में विद्यालयी व्यवस्था के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परन्तु यह पहचानित करते हुए कि जिन राज्यों को इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो सकती है। राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से अनुरोध कर शिक्षकों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिलाने के लिए अतिरिक्त समय जो कि 5 वर्षों से अधिक न हो की मांग करने की स्वतंत्रता दी जाए। शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 24 में शिक्षकों के अकादमिक दायित्व, यथा – समय पाठ्यचर्या की समाप्ति को पूरा किया जाना। बच्चों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, अभिभावकों से नियमित सम्पर्क बनाये रखना आदि सम्मिलित हैं। धारा 26 में छात्र, शिक्षक अनुपात की चर्चा की गई है जिसे विद्यालय स्तर पर संधारित किया जाना है।

शिक्षक की संख्या

जिन विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षाधिकार अधिनियम के मापदंडों के अनुरूप नहीं है उनकी स्थिति निमन प्रकार है :

S. No	Name of the District	2010-11						
		Total Schools	Primary			Upper Primary		
			No. of Schools	No. of Schools having PTR>30	%	No. of Schools	No. of Schools having PTR>35	%
1	Araria	1672	1071	962	90%	601	570	95%
2	Arwal	525	338	316	93%	187	172	92%
3	Aurangabad	1919	1053	1017	97%	866	858	99%
4	Banka	1910	1123	998	89%	787	752	96%
5	Begusarai	1543	907	806	89%	636	626	98%
6	Bhagalpur	1882	1073	954	89%	809	755	93%
7	Bhojpur	2046	1279	1146	90%	767	743	97%
8	Buxar	1188	725	648	89%	463	459	99%
9	Darbhanga	2352	1399	1245	89%	953	928	97%
10	East Champaran	3104	1947	1787	92%	1157	1123	97%
11	Gaya	3023	1764	1646	93%	1259	1235	98%
12	Gopalganj	1673	1007	910	90%	666	616	92%
13	Jamui	1716	972	752	77%	744	712	96%
14	Jehanabad	888	542	513	95%	346	316	91%
15	Kaimur	1179	755	668	88%	424	424	100%
16	Katihar	1976	1207	1088	90%	769	720	94%
17	Khagaria	1044	531	471	89%	513	485	95%
18	Kishanganj	1421	871	722	83%	550	490	89%
19	Lakhisarai	756	492	364	74%	264	235	89%
20	Madhepura	1419	793	772	97%	626	621	99%
21	Madhubani	3146	2077	1918	92%	1069	1021	96%
22	Munger	1045	619	539	87%	426	384	90%
23	Muzaffarpur	3069	1923	1663	86%	1146	1032	90%
24	Nalanda	2190	1335	1140	85%	855	818	96%
25	Nawada	1593	938	927	99%	655	655	100%
26	Patna (R+U))	3347	2169	1815	84%	1178	1050	89%

S. No	Name of the District	2010-11						
		Total Schools	Primary			Upper Primary		
			No. of Schools	No. of Schools having PTR>30	%	No. of Schools	No. of Schools having PTR>35	%
27	Purnea	2044	1279	1221	95%	765	673	88%
28	Rohtas	2047	1240	1014	82%	807	762	94%
29	Saharsa	1250	747	691	93%	503	444	88%
30	Samastipur	2503	1502	1429	95%	1001	930	93%
31	Saran	2532	1565	1365	87%	967	879	91%
32	Sheikhpura	448	226	215	95%	222	210	95%
33	Sheohar	417	220	217	99%	197	197	100%
34	Sitamarhi	2123	1207	1197	99%	916	876	96%
35	Siwan	2115	1224	1090	89%	891	850	95%
36	Supaul	1724	1049	1029	98%	675	657	97%
37	Vaishali	2037	1100	1000	91%	937	914	98%
38	West Champaran	2513	1535	1375	90%	978	822	84%
	Total	**69379**	**41804**	**37630**	**90%**	**27575**	**26014**	**94%**
Source: DISE Data.								

स्पष्टतः 90 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 94 प्रतिशत मध्य विद्यालयों में निर्धारित संख्या से कम शिक्षक हैं।

बिहार में नामांकित बच्चों की कुल संख्या 2.08 करोड़ है। 30:1 छात्र–शिक्षक के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करीब 7 लाख शिक्षक की आवश्यकता बनती है। इसके विरूद्ध सम्प्रति केवल 3 लाख 57 हजार 38 शिक्षक (सहायता प्राप्त स्कूलों सहित) कार्यरत हैं। इस प्रकार सम्प्रति छात्र–शिक्षक अनुपात 58:1 बनता है। **निर्धारित मापदण्ड तक पहुँचने के लिए करीब 3 लाख 43 हजार नये शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है।**

पारा शिक्षक

एक अन्य मुख्य समस्या है कि पिछले 5 वर्षों में बिहार में जो भी नियुक्तियाँ की गई, वे संविदा के आधार पर पंचायत शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक, नगर शिक्षक, आदि के रूप में विविध स्थानीय निकायों द्वारा की गई। इन शिक्षकों का वेतन काफी कम रखा गया है। दूसरी ओर जो शिक्षक नियमित वेतनमान में है, उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। एक ही कार्य के लिए अलग–अलग वेतनमान स्वीकृत किया जाना संविदा आधारित शिक्षकों के मनोबल को घटाता है। इस कारण राज्य के कई क्षेत्रों में शिक्षकों ने विविध आंदोलनों के द्वारा अपना क्षोभ भी व्यक्त किया है। इससे विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। **शिक्षाधिकार के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी शिक्षकों को एक ही प्रकार की वेतन संरचना में रखा जाए।**

षिक्षक प्रषिक्षण

बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति सोचनीय है। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार में सम्प्रति 1 लाख 65 हजार 8 सौ 29 शिक्षक ही प्रशिक्षित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 लाख 91 हजार 4

सौ 31 शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त करीब 3 लाख नये नियुक्त होने वाले शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। **यदि यह माना जाए कि बीस वर्षों में सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त कर लिया जाऐगा तो प्रति वर्ष करीब 35 हजार प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। सम्प्रति बिहार में केवल 2460 शिक्षकों के ही प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों में सीट उपलब्ध है।** इतनी अधिक संख्या प्रशिक्षण का कार्य केवल राज्य सरकार के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/विद्यालयों के माध्यम से संचालित करना संभव नहीं जान पड़ता है। **अतः बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में गैर सरकारी संस्थाओं से सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार को स्पष्ट नीति निर्धारित करनी की जरूरत है।**

शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह भी आवश्यक है कि सरकार के सभी शिक्षण संस्थानों को अविलम्ब चालू कर दिया जाए। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी खोलने के लिए प्रोत्साहन देने की जरूरत है। राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अविलम्ब स्थापित किया जाना चाहिए तथा इन्हें सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण के अतिरिक्त नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स भी प्रारंभ करने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से बी0एड0 एवं एम0एड0 की पढ़ाई शुरू हुई है। इसे और अधिक विस्तारित करने की आवश्यकता है।

स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा विषय के रूप में

चूँकि, बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अतः इस बात की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ ही शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए ताकि स्नातक/स्नाकोत्तर पूरा करने पर वे छात्र शिक्षक बनने के लिए भी प्रशिक्षित हो जाएँ। ऐसा प्रयोग देश में कई महाविद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। उनका अध्ययन कर इस राज्य में भी लागू करने की आवश्यकता है।

महिला प्रशिक्षक प्रशिक्षणी मध्य विद्यालय

चूँकि, शिक्षक की नियुक्ति में 50 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विद्यालयों में भी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित रखा जाए। इसके विकल्प में महिलाओं के अलग प्रशिक्षण विद्यालय खोलने पर विचार किया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा के विशेष महत्व को देखते हुए सभी महाविद्यालयों में ब्रेल लिपि से शिक्षण, सांकेतिक भाषा में शिक्षण, आदि की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष शिक्षा हेतु विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भी खोला जाना चाहिए।

सामाजिक संस्थाओं की भूमिका

शिक्षाधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ काफी गंभीर है तथा इसे केवल केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यम से पूरा किया जाना संभव नहीं जान पड़ता है। इसमें स्वयंसेवी/गैर सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विशेषकर सरकार एवं जनता के बीच वे एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच ताल–मेल बनाने के लिए स्पष्ट रणनीति तय करने की आवश्कता है। बिहार सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं की नीति बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, जो स्वागत योग्य है। इस नीति में स्वयंसेवी संस्थाओं को बलवती बनाकर उन्हें शिक्षाधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्य के कार्यान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया जा सकता है।

स्थानीय प्राधिकार, हितभागियों, माता–पिता अभिभावकों को सामर्थ्यवान बनाना

शिक्षाधिकार अधिनियम लागू करने के लिए एक महÙवपूर्ण घटक है – माता–पिता एवं अभिभावक।

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकार एवं माता–पिता/अभिभावकों को दी गई है। अतः स्थानीय प्राधिकार के सभी पदधारकों उत्तरदायी व्यक्तियों/हीतभागियों एवं माता–पिता एवं अभिभावकों को विशेष प्रशिक्षण अभियान संचालित कर क्रियान्वयन की विधियों एवं रीतियों से अवगत कराया जाए ताकि सभी अपनी जिम्मेदारियों को सफलता पूर्वक निर्वहन कर सके।

बच्चों के शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर विशेष प्रशिक्षण मॉडयूल तथा प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाए ताकि निश्चित अवधि में टी ओ टी पद्धति से प्रशिक्षित किया जा सके।

चूँकि, बड़े पैमाने पर माता–पिता/अभिभावक जागरूक नहीं है। अतः शिक्षाधिकार अधिनियम एवं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्याह्न योजना स्कीम के मार्ग निर्देशों को स्थानीय भाषा में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक ऑडिट के वास्ते प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान आयोजित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

शिक्षाधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला पहला केन्द्रीय अधिनियम है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जाना है। यद्यपि संविधान में इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचानित किया गया पर राज्य सरकारों ने इस अधिनियम को पूरी तरह हृदय से अंगीकृत नहीं किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऊपर यह अधिनियम थोप दिया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षाधिकार अधिनियम को लागू करने में लगने वाले धन के उपलब्धता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यद्यपि राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व दिया गया है। पर इसपर लगने वाले धन के लिए केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व स्पष्ट नहीं है। केवल समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा योजना के माध्यम से धन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। राज्य एवं केन्द्र के बीच शिक्षाधिकार अधिनियम के धन के संयुक्त उत्तरदायित्व को देखते हुए इस संबंध में वित्त आयोग को स्पष्ट नीति तैयार करने का दायित्व दिया जा सकता है।

पंचायतों को पर्याप्त शक्तियाँ

बिहार राज्य में पंचायती राज कानून का अधिनियमन किया गया है। जिसके अंतर्गत डीपी माहेश्वरी समिति द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ मामलों को सौंपे गए हैं। तथापि सौंपे गए कार्य विशेष से संबंधित कार्यकलापों को पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सौंपे जाने के लिए एक विस्तृत कार्यकलाप मानचित्र तैयार करके औपचारिक कानूनी प्रावधानों को सच्ची भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। कार्यकलाप मानचित्र से हमें कार्यक्रमों को मात्र प्रौन्नयन की शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए ताकि स्थानीय आयोजना तैयार करने और उनके क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त शक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए। पंचायतों को कार्यकलाप सौंपने से स्पष्टता और संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा कार्यकलापों को विधायी उपयों के माध्यम से आदर्शतः सौंपा जाना चाहिए।

केन्द्रीय और राज्य स्तरीय संबंधित मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट स्कीमों को क्रियानीवत करने के लिए उपाय किए गए हैं, जो पंचायत क्षेत्राधिकार के तहत आते है– **सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन, भोजन स्कीम सोसाइटियों को समाप्त कर उनका विलय स्थानीय प्राधिकारों को कर दिया जाना चाहिए अथवा पंचायती राज संस्थाओं के समुचित स्तरों के साथ उपर्युक्त संस्थागत संबंधों के तहत लाया जाना चाहिए जिससे पंचायत पूर्ण शक्ति के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके निमंत्रण कर सके।**

विद्यालय प्रबंध समिति

स्थानीय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षाधिकार अधिनियम को संचालित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। अभी तक बिहार राज्य में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं हुआ है। यह आवश्यक है कि अविलम्ब विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन कराया जाए तथा इन्हें अपना प्रतिवेदन वर्ष में दो बार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाए।

विद्यालय प्रबंध समितियों का प्रशिक्षण

विद्यालय प्रबंधन समितियों को विद्यालय के लिए एक वार्षिक कार्य–योजना तैयार करनी है। यह आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को वार्षिक कार्य–योजना तैयार करने, नियमित बैठक आयोजित करने, प्रतिवेदन भेजने, आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके लिए कुछ स्थानों पर प्रशिक्षण कराया गया है। इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण करने के लिए एक प्रशिक्षण की कार्य–योजना तैयार की जाने की जरूरत है।

शिक्षाधिकार अधिनियम में प्रत्येक विद्यालय से एक वार्षिक विकास योजना तैयार करने की अपेक्षा है। इसके लिए अभी तक कोई प्रशिक्षण मॉड्यूल या कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है। इसे अविलम्ब तैयार करने की जरूरत है।

बालकों के अधिकार का संरक्षण

अधिनियम–धारा–31 के तहत बालकों के अधिकार संरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित की गई है। बिहार राज्य में बाल संरक्षण आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग को ही शिक्षाधिकार अधिनियम के अधीन दिये गये शर्तों को लागू करने का दायित्व दिया गया है। परन्तु अनुभव यह रहा है कि बाल संरक्षण आयोग का अधिकांश समय निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने में ही व्यय हो रहा है। **बाल संरक्षण आयोग को राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षाधिकार अधिनियम के उल्लंघनों के मामलों को भी देखने के लिए उत्तरदायी बनाना अधिक उचित होगा।**

जिन मामलों में सरकारी पदाधिकारियों/शिक्षकों या अन्य अभिकरणों द्वारा शिक्षाधिकार अधिनियम के शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा हो, उनमें उन संबंधित दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान भी रखना उचित होगा।

बाल संरक्षण आयोग द्वारा बाल सहायता प्रणाली की स्थापना करने की जरूरत है। इसमें हेल्पलाईन की व्यवस्था रखना व्यवहारिक कदम हो सकता है, जिसमें दर्ज सभी शिकायतों को पारदर्शी रूप से सुनकर उनका निराकरण किया जा सकता है।

शिक्षाधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमावली में बाल संरक्षण आयोग को हेल्पलाइन में एस एम एस (लघु संवाद सेवा) की सुविधाएँ भी उपलब्ध करानी है। शिकायतों के लिए ऑनलाइन मॉनिटरींग की व्यव्स्था भी करनी है। इस दिशा में शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता है।

शिक्षाधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य में राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। पर इसे अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया है। इसे अविलम्ब क्रियाशील किये जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय तंत्र

शिक्षाधिकार अधिनियम की धारा 7 में केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनो की विÙkh; izca/k esa संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दी गयी है। 2001–02 से शिक्षा के क्षेत्र में योजना तथा गैर योजना के व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है :

Expenditure on Education

Year	Expenditure on Education (Rs. Crore)			Expenditure as percentage of total budget	Expenditure as percentage of total social services expenditure
	Plan	Non-Plan	Total		
2001-02	271.56	2358.25	2629.81	13.9	73.6
2002-03	383.52	2506.33	2889.85	18.6	71.4
2003-04	453.92	2585.27	3039.19	13.5	73
2004-05	640.36	2727.61	3367.97	16.8	68.3
2005-06	837.99	3777.07	4615.06	20.4	64.2
2006-07	1356.25	4189.48	5545.73	20.4	65.1
2007-08	1046.26	4741.76	5788.02	18.3	54.3
2008-09	1565.52	5099.47	6664.99	17.9	51.7
2009-10	1585.02	5958.68	7543.7	17.6	52.7
2010-11	3356.97	4667.28	8024.25	15.8	49.7
2011-12 (BE)	4021.06	7041.97	11063.03	16.9	50
CAGR	28.9	11.5	15.2	--	--

Source : Department of Education, GOB

पूर्व पृष्ठों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को काफी तीव्र गति से कार्य कर अपने विद्यालयों को शिक्षाधिकार अधिनियम के मापदण्डों के अनुरूप ढ़ालना है। इसके लिए धन का राज्य सरकार या कोई कर्णांकन नहीं दीखता है। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षाधिकार अधिनियम के मापदण्डों को पूरा कराने के लिए मुख्य कार्यक्रम है। इसमें 2001–02 सें निम्न प्रकार राशियाँ प्राप्त हुई हैं:–

एस.एस.ए. के तहत प्राप्त राशि की स्थिति
दिनांक 30.09.2012 के अनुसार

रूपये लाख में

वित्तीय वर्ष	राशि का निर्गमन		
	भारत सरकार	बिहार सरकार	कुल
2001-02	2850.00	500.00	**3350.00**
2002-03	7914.97	2849.78	**10764.75**
2003-04	19448.77	6482.93	**25931.70**
2004-05	32037.54	8000.00	**40037.54**
2005-06	33085.75	13755.13	**46840.88**

वित्तीय वर्ष	राशि का निर्गमन		
	भारत सरकार	बिहार सरकार	कुल
2006-07	112187.33	55334.37	**167521.70**
2007-08	137748.08	83185.40	**220933.48**
2008-09	193096.13	93825.21	**286921.34**
2009-10	121739.06	98493.03	**220232.09**
2010-11	204789.63	148012.42	**352802.05**
2011-12	185108.94	99101.38	**284210.32**
2012-13	222462.25	78000.00	**300462.25**
कुल ::	**1272468.45**	**687539.65**	**1960008.10**

स्पष्टतः यह राशि अत्यंत अल्प है तथा शिक्षाधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता को पूरी नहीं करता। इतनी कम राशि से निर्धारित समय तक शिक्षाधिकार अधिनियम की शर्तों को पूरा किया जाना असम्भव सा प्रतीत होता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध राशि की उपयोगिता निम्न प्रकार है:

SSA - Financial Progress

(Rs. lakh)

Interventions	2008-09		2009-10		2010-11	
	Financial Target for Current Year including spillover	Financial Achieve ment	Financial Target for Current Year including spillover	Financial Achieve ment	Financial Target for Current Year including spillover	Financial Achieve ment
No. of out-of-school children admitted	25201.1	12757.4 (50.6)	14299.5	9151.7 (64.0)	26008.9	11255.0 (43.3)
Remedial Teaching	4816.6	4127.1 (85.7)	1852.7	1574.7 (85.0)	NA	NA
Civil Works in Progress/Completed	156346.1	77000.5 (49.3)	187824.5	73320.8 (39.0)	213032.5	103407.4 (48.5)
Maintenance Grant (Primary & Upper Primary Schools)	4801.4	3180.2 (66.2)	4940	3294.7 (66.7)	3775.3	3246.6 (86.0)
Teacher Training	8389.2	4346.0 (51.8)	8328	1664.5 (20.0)	6401.6	2277.4 (35.6)
Teachers Salary	90492.6	83189.3 (91.9)	138112.8	86561.1 (62.7)	193940.3	124856.8 (64.4)
School Grant	5061.1	4499.3 (88.9)	5316.2	4840.3 (91.0)	5523.1	4964.9 (89.9)
Free Text Book	24472.8	8318.3 (34.0)	25228.7	13866.9 (55.0)	26442.1	19221.8 (72.7)
Teachers Grant	1611.6	1457.7 (90.4)	1632.6	1544.0 (94.6)	1588.1	1487.0 (93.6)
Community Mobilization	218.8	139.5 (63.7)	223.8	111.0 (49.6)	771.7	99.1 (12.8)

Interventions	2008-09		2009-10		2010-11	
	Financial Target for Current Year including spillover	**Financial Achieve ment**	**Financial Target for Current Year including spillover**	**Financial Achieve ment**	**Financial Target for Current Year including spillover**	**Financial Achieve ment**
Teaching Learning Equipment (TLE)	3888.6	1885.8 (48.5)	3279.8	1901.4 (58.0)	2451.9	874.5 (35.7)
Block Resource Centers (BRC)	583.5	204.0 (35.0)	444.7	171.7 (38.6)	1905.6	440.7 (23.1)
Cluster Resource Centers (CRC)	1175.5	372.5 (31.7)	924.3	337.3 (36.5)	2553.8	1010.6 (39.6)
Integrated Education for Disabled (IED)	1881	931.4 (49.5)	2194.5	968.5 (44.1)	5956.5	2776.5 (46.6)
Innovative Activities	2377	1736.8 (73.1)	3663.9	1531.1 (41.8)	3800	1436.0 (37.8)
Research & Evaluation	968.3	520.3 (53.7)	1248.7	679.7 (54.4)	1286.6	744.9 (57.9)
Management, MIS & Media	7758	3618.4 (46.6)	13674.5	6154.8 (45.0)	15182.8	5761.7 (37.9)
Total : SSA	**340043.3**	**208284.2 (61.3)**	**413189.3**	**207674.3 (50.3)**	**510620.8**	**283860.9 (55.6)**

Note : Figures in parenthesis denote percentage
Source : Bihar Education Project (BEP) Council, GOB

स्पष्टतः कई क्षेत्रों में काफी कम खर्च हुआ है। निर्माण कार्य में तो 50 प्रतिशत से भी कम व्यय हुआ है। राज्य को अगर शिक्षाधिकार अधिनियम की शÙों का पूरा करना है तो राशि को व्यय करने के लिए भी अपनी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।